

**INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL\***

*(Amendment of section 18 FB).*

**DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh)** : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

**MR. DEPUTY-SPEAKER** : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951"

*The motion was adopted.*

**DR. VASANT KUMAR PANDIT** : I introduce the Bill.

**COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL\***

*(Amendment of section 5)*

**SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West)** : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

**SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur)** : I would like to raise objection to the introduction of the Bill on the ground that a number of Commissions of Inquiry are going on in this country and are pending. Therefore, the introduction of this Bill is infructuous. I hope, Mr. Jethmalani will understand it and not move it.

**MR. DEPUTY-SPEAKER** : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952"

*The motion was adopted.*

**SHRI RAM JETHMALANI** : I introduce the Bill.

15:35 hrs.

**REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL\***

*(Insertion of new section 10B etc.)*

**SHRI RAM JETHMALANI** : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

**MR. DEPUTY SPEAKER** : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951"

*The motion was adopted.*

**SHRI RAM JETHMALANI** : I introduce the Bill.

**AGRICULTURAL COMMODITIES SUPPORTING PRICE BILL.\***

**SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur)** : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the fixing of remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities.

**MR. DEPUTY SPEAKER** : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities."

*The motion was adopted.*

**SHRI K. LAKKAPPA** : I introduce the Bill.

15:36 hrs.

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.—Contd.**

*(Insertion of new articles 23A, 23B, 23C)*

*By Shri Y. P. Shastri.*

**MR. DEPUTY SPEAKER** : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Y. P. Shastri on the 5th May, 1978, namely:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration"

Before I call Dr. Ramji Singh to continue his speech, there are certain amendments for circulation.

**SHRI LAXMI NARAIN NAYAK** (Khaipurah) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon" (1)

**SHRI HARI VISHNU KAMATH** (Hoshangabad) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by January 27, 1979." (2)

**SHRI B. P. MANDAL** (Madhepura) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the last day of the next session of Lok Sabha." (3)

**MR. DEPUTY SPEAKER** : Dr. Ramji Singh to continue his speech.

श्री हुकम सेव नारायण बाबू (मधुबनी) :  
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया था और मुझे पुकार लिया गया था। मैंने अपना भाषण प्रारम्भ भी कर दिया था।

**MR. DEPUTY SPEAKER** : Was it the position that you were called ?

श्री हुकम सेव नारायण बाबू : मैंने प्रारंभ भी कर दिया था और मुझे कहा गया था कि मेरा भाषण जारी रहेगा।

**DR. RAMJI SINGH** (Bhagalpur) : I did not finish.

**MR. DEPUTY SPEAKER** : The record shows that Dr. Ramji Singh is still on his legs.

Dr. Ramji Singh to continue.

डा० रामजी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काम के अधिकार के बारे में जो बिल शास्त्री जी ने उपस्थित किया है, वह सभी लोगों के द्वारा स्वागत योग्य है। महारत्ना तिलक ने कहा था : "कीडन इज फावर बर्बराइट"। आज हमें यह भी कहना चाहिए कि काम का अधिकार भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेसन ऑफ ह्यूमन राइट्स की धारा 23 में भी काम के अधिकार की बात कही गई है :

164a L. 8.—10c

Universal Declaration of Human Rights.

"All of us have the right to work and choose a type of work we desire. We are entitled to receive equal pay for equal work."

हमारी जनता पार्टी के घोषणापत्र में भी पृष्ठ 17 पर जहाँ "एक गई धर्म-व्यवस्था की रूपरेखा" की चर्चा है, वहाँ यह कहा गया है : "इसीलिए जनता पार्टी रोबी-रोटी के मौलिक अधिकार पर जोर देती है"। इसके अतिरिक्त पृष्ठ 27 पर जहाँ "आर्थिक रूपरेखा" की चर्चा है, वहाँ कहा गया है : "रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोजगार की व्यवस्था"।

इसलिए अगर जनता सरकार काम के अधिकार को स्वीकार नहीं करती है, तो यह एक नैतिक धनुस्त्र, मारल कंट्रेक्ट को भंग करना है, बचन भंग करना है। यह हमारा नैतिक अधिकार तो है ही, लेकिन यह कानूनी अधिकार भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में, जहाँ संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों का हवाला है, स्पष्ट कहा गया है—:

"The State shall direct, in particular, its policy towards securing—

that the citizens, men and women, equally, have the right to adequate means of livelihood."

धारा 41 में भी कहा गया है—

"The State shall make effective provisions for securing the right to work."

तो इस प्रकार जो संविधान के निर्देशक तत्व में हमें यह काम का अधिकार दिया गया है उसे पूरा न करना संविधान के प्रति झोह है। पिछले समय में जब चर्चा हुई थी कि मौलिक अधिकार अधिक महत्व का है या संविधान के निर्देशक तत्व अधिक महत्व के हैं तो उस समय भी यह बात आई थी कि संविधान के निर्देशक तत्व की भी प्रधानता है।

[ डा० राजजी सिंह ]

इसलिए वह काम का अधिकार हमारे नैतिक अधिकार में भी है। 'केवल भारतवर्ष ही बहु देश नहीं है जहां संविधान में काम के अधिकार की बात कही जा रही है बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों से अपने यहां काम का अधिकार दिया है। उस के संविधान की धारा 118 से 121 में, यूरोस्लाविया के संविधान की धारा 159, जापान की धारा 27, रुमानिया की धारा 18, जर्मन डेमोक्रेटिक फंटे की धारा 24, चीन की धारा 27, आयरलैंड की धारा 42 से 45 और इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, इजरायल आदि में भी यह भी है। इसलिये यदि हमारी सरकार यह कहती है कि दूसरी किसी जगह ऐसा नहीं है तो यह कहना उचित नहीं होगा। हमने देखा है कि जहां काम का अधिकार नहीं दिया जाता है या सचमुच में मजूर्दारों का, बेकारी का भत्ता नहीं दिया जाता है वहां सरकार शिथिल बन जाती है जिस प्रकार से पिछले तीस वर्षों में यह सरकार शिथिल रही और संविधान में दिए गए निवेशक तत्वों का पालन नहीं किया। या तो काम देने का अधिकार शामिल किया जावे या संविधान के मौलिक अधिकार में या फिर बेकारी भत्ता दिया जाये जैसे पश्चिमी बंगाल की प्रगतिशील सरकार ने दिया है, केरल ने दिया है और महाराष्ट्र ने भी एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम दी है। इसलिए सरकार यदि अपने बचन को निभाना चाहती है तो या तो वह काम के अधिकार को धाने वाले संविधान के संशोधन में लागू करे या बेकारी भत्ता दे।

हमारा यह काम का अधिकार प्रजा-तांत्रिक अधिकार हैं। प्रजातंत्र केवल बांड देने को नहीं कहने हैं। हमने चुनाव घोषणापत्र के पहले ही पृष्ठ 5 लिखा हुआ है कि रोटी और आजादी दो। चाहिए—एक गांधीवादी विकल्प। तो क्या आजादी देने से जनता पार्टी का वायदा पूरा हो गया? इसलिए जब तक हम इस को

संविधान में शामिल नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। Man cannot live without bread. यह भी हमें सोचना चाहिए कि काम का अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक प्रजातंत्र पूरा नहीं होगा। आजादी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आर्थिक आजादी पूरी नहीं होती है। इसीलिए हमने देखा है कि जकार्ता से लेकर कैरो तक प्रजातंत्र का दिवाला इसलिए निकल चुका है क्योंकि वहां आर्थिक आजादी नहीं थी। आज देश में जो अनुशासनहीनता, अशांति, निराशा और हताशा है उसका कारण यही है कि मनुष्य और खास कर युवक वर्ग समझता है कि उसके भाग्य के सामने अधिकार की छाया है। इसलिए जब तक उन्हें काम का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक सचमुच में संपत्ति संग्रह करने की होड़ चलती रहेगी और लोगों के सामने बहुत तरह के संभ्रम चलते रहेंगे।

25-43 hrs.

[Dr. SUSHILA NAVAR in the chair]

सभापति मद्दोदया, प्राय तो महिला हैं, प्राय जानने हैं, यह काम का अधिकार हमारा धार्मिक अधिकार भी है। 'देवो भागवत पुराण के सप्तम स्कन्ध में आता है कि महर्षि विश्वामित्र का जब भूख लगी थी तो आंशुल के यहां मांस और कृत्तों का जूठा खा कर उन्होंने अपने प्राण बचाए थे। इसलिए धर्म भी कहता है कि प्राण की रक्षा होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि प्राण का हक दें, जीवन का हक दें तो जीवन का हक भी देना होगा। तो यह हमारा कानूनी अधिकार तो है ही, धार्मिक अधिकार भी है। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए स्पष्ट कहा है—

"The crying need of the East is not want of religion but want of bread."

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore) : Madan Chairman, I fully agree with the propositions made by Mr. Y. P. Shastri for providing employment to all citizens, free education to children and monetary assistance to the old and sick

people within the framework of the Constitution as a compulsory one, not only as a Directive Principle but as a Fundamental Right. If the State fails in this, the State will be failing in its duty to its citizens, and the citizen will have the right to go to court..

MR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharya, I have just been told that Mr. A. Sathambal has to leave at 4 O' Clock. You have already started. I am sorry. If you do not mind, he may speak now, and then.. I will call you....

SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Next to him, I will speak.

MR. CHAIRMAN: Allright. Mr. Bhattacharya, you may continue.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I have seen the Statement of Objects and Reasons given by Mr. Shastri with which, I think, the whole House.....

श्री विनायक प्रसाद शर्मा (सहरसा):  
समापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उन राज हमको बुला लिया गया था, हमने भावग गृह किया था, वे इस बात का घोष पर भी कहने के लिए तैयार हैं लेकिन आपके रिकार्ड में यह बात नहीं है तो फिर मेम्बर सत्य है या आपका रिकार्ड सत्य है—यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? मेम्बर इस बात को आप पर कहने के लिये तैयार हैं कि हमको चेयर ने बुला लिया था, हमने शुरू किया था और तब चेयर ने एडजर्न किया था लेकिन आपके रिकार्ड में यह बात नहीं है फिर कौन सी बात सच हो सकती है?

समापति महोदय: रिकार्ड में जो लिखा है उनके मुताबिक उस दिन जो बंधु बोल रहे थे उनको बुलाया गया है, डिप्टी स्पीकर ने सोच समझ कर यह किया है। प्रमी मीने विजन के एक भाई को बुलाया है और उसी बोच में मुझे बताया गया कि प्रना डी एम के के मेम्बर बार बजे जाने वाले हैं, उनको प्लेन पकड़ना है तो मीने कोशिश की उन्हें समय देने की लेकिन हमी उनको इतना टाइम है कि के इनके बाद बोल सकते हैं इसलिए अभी अट्टार्कर्स को अपना भावग समाप्त करने उसके बाद दूसरे बंधु बोलेंगे। आप को भी बुलाया जाएगा। (अव्यवाह)

Mr. Bhattacharya, please continue.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: The Bill has asked for provision of these items, namely, right to employment, free education to children upto the age of 14 years and monetary assistance to the sick and disabled persons as a Fundamental Right, and if the Government fails to provide any of these items, the citizen can go to the court and take the help of the judiciary to force the Government, so that he may be provided with a job, the child may be given free education and the disabled and sick men may be given monetary benefit. I do not know what can be the objection on the part of the Government to accept the Bill as such or to assure the House that they will change the Constitution on the basis of the idea that has been given here.

If you compare the unemployment figure, the educated unemployed, with what it was in 1973, you will find that the position is like this: it was, in thousands, 3901.6 in 1973 and 5104.1 in the year 1976. So, it has almost doubled within three years. This is the only record in the live register that is maintained by the Employment Exchange at different centres. Thousands and lakhs of rural people do not have the opportunity or they do not go to the Employment Exchange to register their names. So, the unemployment figure is growing like anything.

It is stated here, and Mr. Shastri wants that this should be included in Art. 41 as a Fundamental Right: If the Government considers that it is not possible for them to provide employment to the unemployed, then some monetary assistance or some allowance should be given to these unemployment persons. In West Bengal, and perhaps in some other States like Kerala and Punjab, unemployed persons whose names have been there for the last five years will get at least Rs. 50/- per month and, in return, they will have to devote some time for social work once a week: that is the only obligation. If this is possible for the States, who do not have large resources at their disposal, why does not the Centre come forward with a proposal so that the unemployed people may think that the new Government that has come is at least trying to see that, even if they cannot provide jobs to the unemployed, they will not let them starve, and that is the reason that Government is giving them unemployment allowance. If this can be given in other countries, why cannot it be given in our country? In socialist countries there is no unemployment problem, but in western countries and capitalist countries where this problem exists—in England and other countries in Europe—they are giving unemployment allowance to unemployed persons. So, this is something which is a must and for which a serious attempt must be made by the Government so that the people may think that this Government

[Shri Dinen Bhattacharya.]

high has now come and which had given an assurance to the people that they will do good to the people, will really see that at least an attempt is made to provide jobs or if they fail, the unemployed persons will at least be assured of some amount which will be treated as unemployment benefit. So, this is my first contention.

My second point is that it is a shame on our part that, even after 30 years of independence, more than 70% of the people are illiterate. They cannot write and they cannot even sign their names. That is the situation. Assurances were several times given on the Floor of this House that effective steps will be taken so that illiteracy may be removed, but up till now, I have not found that either the previous Government or the present Janata Government have taken serious steps in this matter so that our children may not remain illiterate.

The figures that have been collected by me from the census report, 1971 indicate that the literate population was to the extent of 16 crores and odd, whereas the number of literate persons was 38 crores and odd. This is a very serious matter and there should be serious attempts on the part of the Government to remove this illiteracy. At least, the children should have the opportunity to get some education. Some people would say that we have provided for free education upto primary level all over the country. That will not do. We know, in the rural areas, a person will not allow his son to go to the school, he would like him to work in the field or do some other work as his helping hand, or in the urban areas, he would like him to work in a tea shop as a 'boy' and earn something for the family. You will, thus, find, that economic development and literacy go side by side. If you do not take steps to improve the economic situation, the provision of free education upto the primary stage will not help. It would only be a lip service. I would, therefore, insist and urge upon the Government that they must take some effective steps in this matter.

Lastly, I would like to mention about the disabled persons who have nobody to depend upon. I have seen so many persons who remain on the charity of their neighbours or they have to beg. Why should you allow our people to beg? I have travelled in some of the socialist countries and have not seen even a single beggar there. Why this difference? It is only because of the socio-economic differences between our country and those

counties. I would say that the Government at the Centre must come forward to help such disabled persons. Such disabled persons who are old, cannot work and have nobody to support them must be helped with some money with which they can pass their last days in peace. This is my plea with the Minister who is concerned with this matter.

In the end, I fully support the Bill and I think, there is no bar in providing these items in Article 41 of the Constitution as a fundamental right so that the people will know that our Constitution is perfect. Not only lip service is given, not only pious wishes are expressed, not only assurances are given, but effective steps have been taken to see that it is a constitutional right of the citizens of India to get all these benefits. With these words, I extend my full support to this Bill.

\*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Madam Chairman, I am very happy to participate in the discussion on the Constitution Amendment Bill of Shri Y. P. Shastri, and without fear of any contradiction I am sure that I can comment the effort of Shri Shastri in bringing forth this legislative proposal of national importance.

Shri Shastri has suggested three amendments to Articles 23 and 24 of the Constitution, which the House should unhesitatingly approve of. He wants that Right to Work should become a fundamental right. It should become justiciable. During the past three decades, as a free nation, we have not been able to solve the problem of unemployment. The scourge of unemployment has spread throughout the length and breadth of the country. The elected representatives of the people, the moment they come to power, assure the people that they would solve the problem of unemployment in the country within a specified period. The former Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, proclaimed from the house-top that she would eradicate poverty and eliminate unemployment from the country but even with Emergency powers she could not meet with success in her efforts. Our present Prime Minister, Shri Morarji Desai, has assured the nation that within ten years he would provide full employment in the country. The number of unemployed on the live registers of Employment Exchanges is about one crore of people. You will agree with me that many lakhs of people do not have facilities to register

\*The original speech was delivered in Tamil.

themselves with the Employment Exchanges and their number may run into a few crores. Nothing is more shameful for a free country that her citizens should remain unemployed for years.

16:00 hrs.

As my hon. friend, Shri Bhattacharya, pointed out, that the Government at the Centre, is callous towards this problem in the absence of Right to Work being a basic right. If Right to Work becomes basic and fundamental right, then the Government would be compelled to gear all its programmes for fulfilling this basic right to the people. I plead with the hon. Minister of Law that he should unreservedly accept this plea and make the Right to Work a fundamental right as is there in many socialist countries of the world.

The hon. Prime Minister says that he will provide job opportunities to all in the course of ten years. Till then, how are these people to live? Should they starve? Should they take to beggary? Should they start stealing? The State Governments of Kerala, Punjab, Bengal and Maharashtra are implementing schemes of unemployment allowance. The Central Government should not only encourage their endeavours but also Supplement their efforts in this matter. The Central Government should financially assist the States for implementing such schemes of unemployment allowance.

Shri Shastri has also recommended pension to the disabled people above 60 years. As early as 1967, the D.M.K. Government in Tamil Nadu implemented a similar scheme. Even now it is working very well. The Central Government should formulate such a scheme, on the lines of Tamil Nadu Scheme, for implementation throughout the country. The other State Government can exert their efforts in this direction by emulating the Tamil Nadu scheme.

Shri Shastri wants free education to children upto 14 years. We have constitutional sanction for free and compulsory primary education. In many States, even today this laudable objective has not yet been achieved. In Tamil Nadu, Shri Kamaraj, the then Chief Minister of Tamil Nadu, made education free upto secondary school leaving certificate level. In 1967, the D.M.K. Government in Tamil Nadu made it free upto Pre-University Stage. If the D.M.K. Government had not been dismissed in January, 1976, it would have made education free upto Graduate level. Unless the people of the Country become educated, democracy cannot take deep

roots in the country. This should be done throughout the country.

If monetary assistance is given to the unemployed and also to the disabled, the financial Commitment comes to the order of Rs. 400 crores and Rs. 150 crores respectively. The Government of India can say where will the money come from. Only recently the Government of India raised two market loans—Rs. 400 crores and Rs. 250 crores and these two loans were subscribed in full within a day. Such market loans for this specific purpose can be floated by the Central Government. I do not say that the unemployment allowance should be free. It can be given as loan and later recovered after the people get jobs. To give an example the Community Association to which Shri Kamaraj belonged assisted financially the young aspirants of the community who want to continue with higher studies. After completing their education and getting jobs, this loan is recovered from them in easy instalments. If a small Community Association can render such assistance, is it impossible for the Government to extend this help to the unemployed? The Central Government can recover this money after they get jobs and it can be deducted at source by the employers, like the Employees' Provident Fund, E.S.I. Fund etc.

Our Prime Minister sends letters to the Chief Ministers for implementing vigorously the Family Planning programmes. The Central Government send many directives to the States. But I do not remember a single occasion in which the Prime Minister has requested the State Government as to what they want for creating more job opportunities, not only at the State level but also at the Central level, at all-India level.

The D.M.K. Government of Tamil Nadu implemented effectively the Beggar Rehabilitation Programme. It will be worthwhile for the Central Government to draw up such a scheme for implementing it throughout the country. 50 % of the unemployment problem can be solved if the beggars are rehabilitated. In each District there must be a Centre of activities for the beggars so that they can become useful to the society, they can become productive units, instead of sponging on the society.

In conclusion, I would plead with the Government that the legislative proposal of Shri Y. P. Shastri for amending the Constitution to incorporate Right to Work as a Fundamental Right, to render financial assistance to the unemployed and to the disabled of above 60 years and

[Shri A. V. P. Asaithambi]

to make education free and compulsory to children upto the age of 14, should be accepted without any hesitation.

Thanking you for giving me an opportunity to say a few words on this important Bill, I conclude my speech.

**श्री सुकन्य देव नारायण वायव्य (मधुबनी):**  
समाप्त जो माननीय यमुना प्रसाद शास्त्री का विधेयक धारा हुआ है और सरकार की ओर से जो जवाब दिया जाएगा वह हम लोग पहले से जानते हैं। यह बतायेंगे कि निधि का प्रभाव है, पैसा नहीं है अभी हम नहीं कर सकते। तो सरकार की तरफ से जो मजदूरी बतायी जायेगी मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मजदूरी को तो चुनाव घोषणा-पत्र बनाने समय ही जनता पार्टी को सूचना चाहिए था। वायदा करके वायदा खिन्नाकी करना इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं है। आपने वायदा किया था अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और उसमें आपने यह स्पष्ट लिखा है पृष्ठ 16 पर कि: "मौलिक अधिकारों की सूची में से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को रद्द करेगी और उसके स्थान पर रोबो रोटी के अधिकार का समावेश करेगी। आपने साफ़ साफ़ कहा जनता पार्टी को सरकार बनेगी तो यह बिलुप्त स्पष्ट रूप से ऐसा किया जाएगा और फिर आपने जो भागे काम के बारे में लिखा है उसमें आपने स्पष्ट उपबंध किया है कि काम के अधिकार को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो जब ऐसा चुनाव घोषणा-पत्र में लिख दिया और संयोग से शास्त्री जी इस विधेयक को लाये हैं और लगे न फिटकरी रंग बोखा। आपने तो सरकार का काम जब शास्त्री जी ने कर दिया है अतः आपको इतना मान लेना चाहिये। सो काम-रोजगार दफ्तर में जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उनके अलावा जो गांव में अल्पदंड, कम-मंडे और अउ-पंडे लोग हैं, उन लोगों का रोजगार दफ्तर से कोई मतलब नहीं, वह बहाल जाते ही नहीं। इस हिसाब से करीब करीब 12 करोड़ आदमी इस देश में बेकार हैं,

चाहे वह पूर्ण बेकार हों या अर्द्ध बेकार हों, लेकिन बेकार है। ऐसी स्थिति में सरकार को रोजगार के अधिकार को सम्मिलित करना चाहिए और वायदे को पूरा करना चाहिए।

बेरोजगारी और भूखमरी के पेट से ही देश में अपराध, अराजकता, अराजक अनुशासनहीनता, अराजकता आदि चीजें निकलती हैं। जहां लोग भूख से मरते रहेंगे, वहां काम नहीं चल सकता है। किसी बड़े राजनिति शास्त्र के पंडित ने कहा है कि भूखमरी और लोकतंत्र एक साथ जिंदा रह ही नहीं सकते। जहां लोगों में भूखमरी हो वहां लोकतंत्र की और नैतिकता की बात करना बुद्धिमान कि न करोति पापम्—अर्थात् भूख इन्सान की नशा पाप नहीं कर सकता, यह शास्त्र प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में आपको इसे निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए।

आप कहेंगे कि हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा जुटाना चाहें तो वह भी सरकार संकल्प से एक मिनट में जुटा लेगी, कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है। सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चहें तो कर सकते हैं, लेकिन संकल्प का सवाल है।

दुख होता है, जब कभी भा बेरोजगारी भत्ते का माँग तो गई तो एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यह तो भीख देने के बराबर है। मैं कहना हूँ कि जब यह भीख देने के बराबर है तो चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदा किया गया था, उसके अन्तर्गत जनता पार्टी को साफ़ कहना चाहिए कि, उन समय हमका बोट लेना था इसलिए वायदा कर दिया अब बोट का काम खत्म हो गया तो—

कुछ बड़े खर्ची, उल्लास भई चुन्ही।  
भई जनता से, कोई मतलब नहीं, यह सीक  
कह देनी चाहिए, नही तो वायदे के खिलाफ

एक स्टेटमेंट देना भी सबसे बड़ा नीतिकानी काम है।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा तो तुरन्त आयेगा अप्रमदनी धीर खर्च पर सीमा बांध दें। इससे करोड़-करोड़ देश में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये सालाना बचत होगी। असदनी धीर खर्च पर प्रतिबंध लगाने से, इसकी सीमा बांधने से, जो 2 हजार करोड़ की बचत होगी उससे बेरोजगार को बेरोजगार बना देने का काम हो सकता है।

सरकारी सेवा में जो 58 और 60 वर्ष का उम्र तक सेवा अवधि है उसको कम कर के 20 वर्ष कर दिया जाये। 20 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहने के बाद पेंशन दे दें तब कहीं रोजगार का काम खाली होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूटडी भर आदमी बरसों तक सरकारी पैसे पर आराम करते रहे और बाल-बच्चों का रोजगार चला रहे और देश के करोड़ों आदमी फटे हास रहे। जब ऐसा करेंगे तभी नौजवानों को रोजी मिल सकती है।

नौकरी में जाने की उम्र जो 25, और 26 बरस रखी है, उसको बढ़ाकर 3 बरस करना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति होने के लिये 35 बरस सीमा रखी जाये, और नौकरी पाने के लिए 25 बरस रखते हैं। दोनों के लिए एक ही देस में दो कानून नहीं चलने चाहिए।

अभी भूत राजा सन्तान, शिक्षा पात्रे एक समान हम जेग यह नादा लगाते रहे है। तो चाहे राष्ट्रपति हो या देश का भिन्नमया, दोस्तों के लिए देस में एक कानून होना चाहिए।

श्री. यश. श्री. चतुस कि. सेवक-मुक्ति के बहस जो महान-मा. मे. तो उचें किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था में नियुक्त न किया

जाये। सरकारी सेवा से-पेंशन पाने के बाद 10, 5 हजार आदमी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कम्पनी में या सरकारी कमीशन बर्ररा में जगह पा लेते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान देश में भटकता फिरता रहता है। बूढ़ा-बर-बूढ़ा जो होता है उसको पैशन देकर भी कहीं न कहीं काम मिल जाता है। होना यह चाहिये कि जो सरकारी नौकरी से हटे उसको सरकारी या गैर-सरकारी किसी संस्थान में काम न मिले।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि पैजा जुटाया जा सकता है। फिजूल खर्चों को रोककर। संसद् से ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये कि जो सांसद्, विधायक, मन्त्री और सरकारी अधिकारियों के वेतन-भत्तों में और सुविधाओं में खर्च होता है उसे कम किया जाये। इस देश के सांसदों को कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि उनको वोट देने वाला इस देश में प्रतिदिन 20 पैसे पर गुजारा करे और हम लोगों को 150 रुपये प्रतिदिन मिलता रहे। यह भी सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए जनता के जो वोट देने वाले मालिक हैं और जनता के नौकरों में एक रिश्ता कायम होना चाहिये। मैं यही कहूँगा कि फिजूलखर्चों रोकने के लिये संसद-सदस्यों, विधायकों, मन्त्रियों और सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्तों और सुविधाओं में कटौती करिये।

इसलिए यह आवश्यक है कि पैसा बचा कर, देश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिया जाये, वना देश में प्रराजकता और धानक की स्थिति को कोई रोक नहीं सकता है— हमारे लाख कानून बनाने से भी वह रुकने वाली नहीं है।

श्री श्री० श्री० संजय (मुजपुरा)  
सभापति, महोदय, मैं श्री यमुना प्रसाद झाहरी

[ श्री श्री. श्री. मन्मथ ]

को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने एक बहुत प्राथमिक विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जिस देश में बो-तिहार्ड में भी अधिक लोग बेरोजगार हों, उस देश में सरकार का कोई धर्म या मतलब नहीं रह जाता है। आखिर लोग सरकार क्यों बनाते हैं? इस लिए कि उन्हें रोखी-रोटी मिले। सोशलिस्ट पार्टी, जो अब जनता पार्टी में मर्ज हो गई है, कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में बराबर यह नारा लगाती थी कि रोखी-रोटी कपड़ा दो, नहीं तो नहीं छोड़ दो। लेकिन प्रफेसर्स की बात है कि गवर्नमेंट में धाने के बाव हम खुद उस की तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, उस के बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं, और उस पर झमल करने के लिए हमारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठ रहा है।

प्रधान मंत्री जी का कहना है कि दस बरस में लोगों को रोजगार मिल जायेगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह इन्दिरा गांधी बराबर कहा करती थीं कि मुझे दस बरस का मौका दे दो, तो मैं देश की गरीबी को दूर कर दूंगी, और दस बरस का मौका लोगों ने उन्हें दिया, अगर उन्होंने गरीबी को दूर नहीं किया, तो उन्हीं को लोगों ने दूर कर दिया।

माननीय सचिव, श्री शास्त्री, इस कांस्टीट्यूशनल विस के द्वारा कांस्टीट्यूशनल के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में ही नई रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की बात को फ्लामेंटल राइट्स में इनकलूड करना चाहते हैं। अगर हम इस विषय में वास्तव में सिगनिफर हैं, तो यह करना सर्वथा जरूरी है। अगर वह अभाववा फ्लामेंटल राइट्स में इनकलूड हो जाती है, तो नागरिक को अधिकार हुआ कि अगर सरकार उसे काम न दिलाये, तो वह कोई नया कर व्याज बांध सकता है।

इस बारे में संसद की बात बड़ी आश्चर्य की है। कहना चाहता हू कि जने ही सरकार विवाहिया हो जाये, भले ही हमारी सब चीजें बिक जायें, लेकिन हमारा पहला काम होना चाहिए लोगों को रोजगार और रोखी-रोटी देना। इस के बगैर गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने इस ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया है।

मैं विधि मंत्री से कहूंगा कि वह इस बारे में सोच-समझ कर ध्यान दें। वह ऐसा न कहें कि इस विस को वापस ले लिया जाये, बगैरह। अब सारे उत्तर भारत में जनता ने एक एक सीट हमें दी है—और दक्षिण में भी बहुत कुछ—, तो उसके बचले में हम उसको क्या दे रहे हैं? न तो हम लोगों की रोखी-रोटी का इन्तजाम कर सके, न कपड़े का और न शिला का इन्तजाम कर सके। इस लिए मैं कहूंगा कि काम के अधिकार को फ्लामेंटल राइट्स में इनकलूड करना और उसे अस्टिगिएबल बनाना बहुत जरूरी है। जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वह प्रविलम्ब, बिना हीले-हुवाले और बहानेबाजी के, इस को मान ले।

उसी तरह शास्त्री जी ने शिला को कम्पल-सरी करने की बात बड़ी है। जैसे तो शिला कितने ही राज्यों में दसवीं शका तक की कर दी गई है, हमारे बिहार में मैट्रिकुलेशन तक शिला की कर दी गई है। लेकिन की करने से कुछ नहीं होने वाला है अब तक इस को कम्पल-सरी नहीं किया जाया। हमारे संविधान न वा कि दस वर्ष के अन्दर हम इस देश में शिला को कम्पल-सरी और की करेंगे। तीस वर्ष गुजर गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं और साथ-साथ हमने यहाँ सिट्टेट जावनी कुल 33 परसेंट बढ़ी है। जर्म की बात है। मैं विधेयों में जाते हू, देखता हू कि सेंटपरसेंट जावनी यहाँ बढ़े रि:खे है और हमारे यहाँ वही रि:खे है। ती-अब तक हम की और कम्पल-सरी एम्प्लेज नहीं

करने सब तक इस देश में हम खिला की समस्या कभी हल नहीं कर सकते हैं। अब जनता प्रणाली में रहेगी, अपने अधिकार को नहीं भागेगी तो जनतन्त्र भी एक मज्जीब रहेगा। अहाँ तक जनतन्त्र की सफलता की बात है उस के लिए भी जरूरी है कि रोडी-रोटी लोगों को मिलनी चाहिए। मैं ने एक अग्रह पड़ा था, बर्ट्रेन्ड रसेल ने फिलोसाफिक वे में कहा था कि एक भूले आदमी की मेज पर एक तरफ एक गैट में खाना रख दो और एक तरफ बैकट बाक्स रख दो तो नेचुरली जब वह दो तीन दिन का भूखा रहेगा तो बैकट बाक्स की तरफ देखेगा भी नहीं और पहले खाना शुरू करेगा। उधर जायेगा ही नहीं, भूख उस को परेशान करेगी, खाना शुरू करेगा, यह नेचुरल है। इसलिए अगर जनतन्त्र को हम बरकरार रखना चाहते हैं अपने देश में तो जरूरी है कि हम इस को प्रतिपाद करें और इस को कन्वेंशनल राइट्स में इनकलुड करें। इस विधेयक को खाने के लिए मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

अपने यहां बहुत सारे काम हमें करने हैं। हम वर्ष कण्डोल की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन उस में भी सफलता नहीं मिल रही है। हमारे यहां बहुत सारी जमीन जिस पर कि कृषि होनी चाहिए ऐसी पकी है जिस पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, कोई नहर नहीं है, पानी नहीं है। बहुत ज्यादा जमीन बंजर पकी है जिस को हम बेहतर कर के खेती के लायक बना सकते हैं। इस तरह जो हमारे बीछे हुए जोम हैं उन को हल कस रेंवे और उन से काम लेने तो देश की भी तरक्की होगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा।

इच्छा की के बारे में भी बोलते हैं कि अपने यहां इच्छा की बहुत कम है। मैं बिहार को जानता हूँ, बिहार में सब के ज्यादा मिलन के प्रोबन्ध हैं लेकिन बिहार सब के तरीक

राज्य है। सहरसा जिला जहां से मैं जाता हूँ वहां एक भी इच्छा की नहीं है जब कि जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल के बाँध पूजिया और सहरसा की पोलीसन जाती है। लेकिन एक भी जूट की मिल वहां नहीं है। इस किस्म के रोजगार देने के बहुत से साधन हमारे यहां हैं, बहुत सी एरिथायड हैं किस के अन्दर इच्छा की बना कर रोजगार दे सकते हैं। खेती में बहुत से लोगों को लगा कर उन्हें रोजगार दे सकते हैं। गवर्नमेंट के पास बिना पावर हो तो बहुत कुछ काम हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ लिप सिम्पली इन्चिवा जी की तरह करते रहेंगे, लोगों को सेमन जूस खिलाते रहेंगे, मीठी मीठी बातें करते रहेंगे तो देश के साथ जुलूम करेंगे। मैं कुछ के साथ कहता हूँ कि जितना समय हमारी सरकार का अभी तक बीत गया, उस में अगर हम आपस में लड़ाई लड़ना कम करते और जनता के कार्य को प्रायों बढ़ाने में ध्यान रखते तो बहुत कुछ कर सकते थे। दस वर्ष में प्रनैम्पलायमेंट दूर करने का हमारा टारगेट है जिसमें एक साल, तीन महीने बीत चुके हैं। हमें हार्टसचिप करनी चाहिए कि हमने एक बड़ा इस प्रनैम्पलायमेंट दूर किया है या नहीं। हमने नहीं किया है। मैं कहता हूँ उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। अभी तक हमारा ध्यान महलों के विकास की ओर ही है। महात्मा गांधी का कहना था कि असल भारत गांधी में रहता है। सैकड़ों में 80 आदमी गांधी में ही रहते हैं। आज ही मैंने मेट्रोपोलिटन रेलवे बिल देखा, अरबों रुपए कसकता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में खर्च किये जायेंगे लेकिन गांधी में जहाँ पर एक पक्की सड़क की भी सुविधा नहीं है उधर देखना भी नहीं है। तो यह जो हमारा इच्छिकोम है वह वाकिय नहीं है, इमानदारी का इच्छिकोम नहीं है। लेकिन इसी इच्छिकोम के साथ देखा जा रहा है, हम दिल्ली में कनाट प्लेस को सजाते हैं, बम्बई में चीनाड़ी को सजाते हैं परन्तु गांधी की ओर देखते भी

[श्री बी० पी० मण्डल]

नहीं है। इसलिए एम्प्लायमेंट को अस्टि-सिएबल बनाने और फन्डामेंटल राइट में उसको इनक्लूड करने के सम्बन्ध में शास्त्री जी का जो विधेयक है उसका मैं तर्कवित्त से समर्थन करता हूँ और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस सम्बन्ध में वे कुछ सोचें, जल्दबाजी में इसको रेड लाइट न दिखावें बल्कि इसको ग्रीन सिग्नल दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामदास सिंह (मिरिडीह) : सभा - पति महोदय, माननीय यमूना प्रसाद शास्त्री जी ने जो संविधान (संशोधन) विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतने संविधान (संशोधन) विधेयक अभी तक पास हुए हैं लेकिन जब राइट टु वर्क का प्रश्न आता है तब पता नहीं क्यों हम इतना डर जाते हैं जिसके कारण आज तक इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया। यह बात सत्य है कि हमारे देश में जो बेकार हैं उनकी संख्या 6-7 करोड़ होगी परन्तु साथ ही इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको साल में 4-6 महीने रोजगार मिलता है और बाकी समय बेकार रहते हैं, घरम इनको भी जोड़ लिया जाए तो बेकार लोगों की संख्या 10-12 करोड़ हो जाती है। इन बेकार लोगों से काम लेने और काम के बड़े काम लेने की गारंटी की जब बात आती है तो सरकार इससे मुकर जाती है—पहले की सरकारें भी और आज भी सरकार भी क्या खूब अपनाती है उसको देखना है। शास्त्री जी जो बिल लाए हैं उस पर घरम गम्भीरता से सोचा जाए तो वास्तव में जो इसकी नतीजें निकलेंगे वह बहुत अच्छे होंगे, उससे देश में समृद्धि आएगी। इसके अलावा घरम भाष. प्रत्येक व्यक्ति की काम की गारंटी नहीं देते हैं, फिर देश में कमी भी शक्ति नहीं रह सकती है। आज तक इतनी प्लानिंग हुई, कमी बाढ़ पर करोड़ों रूपए खर्च होते हैं, कमी बिजली या जाती है दो करोड़ों वर्ष

किए जाते हैं, कमी एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो जाती है तो उस पर भी खर्चा किया जाता है और उसके लिए खपता आ जाता है। यहाँ तक कि चुनावों का टाइटम आता है तो उस समय भी खपता आ जाता है लेकिन जहाँ तक रोजगार की व्यवस्था करने की बात है जबकि रोजगार की व्यवस्था करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा, वहाँ पर धन की कमी बताकर इसको टाल दिया जाता है। यह बात सत्य है कि चाहे प्राथमिक या राजनीतिक, कोई भी वृष्टिकोण अपनाया जाए, समाज में छोटे बड़े का जो एक सामाजिक अभिगाप है उसका मुख्य कारण धर्म ही है। आज जब हमारे पास करने के लिए काम ही न हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तब डकैती, चोरी, लूट पाट छोड़कर उनके लिए और क्या काम हो सकता है और इस तरह की बहुत सी घटनाएँ घटती हैं जो कि बड़ी दर्दनाक होती हैं। इसलिए आज इस तरह के क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इनके पीछे बेकारी ही मुख्य कारण है। ऐसे अपराधों की संख्या बहुत कम है जबकि दूसरी वजह से लोग ये कुकर्म करते हैं। अधिकतर लोग विवश हो कर इस तरह के कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पिछले समय को भी घरम हमें तो 1971 में जो चुनाव लड़ा गया था या जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव लड़ा है, उसमें नारा यही था कि हम गरीबी और बेकारी को दूर करेंगे। मूल्यों में समानता की बात, मूल्यों में स्थिरता की बात भी उठाई जाती रही है। जब हम बेकारी और गरीबी को दूर करने का नारा देते हैं, तो सारा देश एक तरह की आशा बांध कर हमारी तरफ देखता है और जब हम वहाँ पर आ जाते हैं तो फिर अपनी मजबूरी बताते हैं। इसलिए यह जो बिल आया है कि सबके लिए रोजी की व्यवस्था की जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसके अन्तर्गत बहुत-बहुत व्यवस्थाएँ

इस विधेयक में जो यह दूसरी बात है कि अगर उसको बेकारी न ही जाए, तो बेकारी भत्ते की व्यवस्था की जाए, यह इस उद्देश्य से रखा गया है कि सरकार जागरूक रहे और ऐसी व्यवस्था करे कि बेकारी भत्ता देने की जरूरत न हो।

तीसरी बात इसमें जो है वह अनिवार्य शिक्षा की है। अनिवार्य शिक्षा की जहाँ तक बात है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, वह बहुत दूषित है। जब एक व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो जाती है तब भी वह बेरोजगार ही रहता है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। अधिभक्त लोगों की इतनी बड़ी समस्या नहीं रहती है जितनी कि शिक्षित लोगों की रहती है, जब वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर आते हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है, उस तरह की शिक्षा आप दें जिससे शिक्षित लोग अपने पैरों पर खड़े हो कर रोजगार पा सकें या अपना काम कर सकें। शिक्षा के प्रयुक्तानों पर बहुत के समय मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था और वह यह था कि 11 वर्ष या 12 वर्ष तक जो कि मैट्रिकुलेशन स्टेन्डर्ड की पढ़ाई है, उसमें साधारणतया भाषा के ज्ञान की शिक्षा आप दें लेकिन बाद में जिस तरह की हमारे देश की जरूरत है हम पार्लिमेंटरीकल की ट्रेनिंग विद्यालयों को दें या टेक्नीकल कीजों की ट्रेनिंग उनको दें। जब वे 18 वर्ष के हो जायें और शिक्षा प्राप्त कर लें, तो वे ऐसी स्थिति में आ जायें कि अपना रोजगार अपने आप खड़ा कर सकें और उससे अपने घरबार का पालन पोषण कर सकें। इस तरह की शिक्षा की प्रणाली की आज हमें जरूरत है। यह नहीं कि हमने भी शिक्षा कर दी और उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी शिक्षा से कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे अच्छे जो साधनहीन हैं जिनके परिवार में नहीं है उसके लिए खाने,

कपड़े और दवा आदि की व्यवस्था हो और 14 वर्ष तक उनको यह मिलना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक भी रहे और साथ-साथ उनको शिक्षा भी मिल सके। यह जो विधेयक लाया गया है उसको सरकार को मान लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर उसे सार्थक बनाना चाहिए।

चौथी बात जो इस विधेयक में है वह यह है कि जो बेकार हो गये हैं यानी जो इनबैलिड हो गये हैं चाहे वे बीमारी के कारण हों या किसी और कारण से हों, उन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए पेंशन के रूप में। कुछ राज्यों ने तो इस को शुरू भी किया है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अगर हम देश में प्रगति करना चाहते हैं और समृद्धि लाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। अगर हमारे देश में लोगों के पास काम नहीं होगा, तो हमेशा इसी तरह की खुराफात चलती रहेंगी। हमारे कुछ सदस्यों ने धारा 39 और धारा 41 के बारे में भी अपने विचार सदन के सामने रखे लेकिन मैं बड़े जोरदार शब्दों में सब सदस्यों से प्रतीप करता हूँ कि यह जो विधेयक आया है कि सब के लिए काम की व्यवस्था की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए, इस विधेयक को किसी भी हालत में वापस नहीं होना चाहिए और अगर इस को वापस करने के लिए कहा जाता है तो उसका मुकाबला करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का संक्षेप समर्पण करता हूँ और सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि इस को गंभीर रूप में देख कर इस का समर्थन करें। बहुत से राज्यों ने इस बात को मान लिया है। अगर कुछ राज्यों ने ऐसा किया है तो केन्द्रीय सरकार भी इस की जिम्मेदारी अपने ऊपर

[ श्री रामबाबू सिंह ]

से और इस को पास होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। इन मन्त्रों के साथ मैं फिर राष्ट्रीय जी को धन्यवाद देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Madam, Chairman, I want to start by congratulating very warmly our distinguished colleague, Shri Shastriji for having taken some initiative in bringing forward this very useful Bill for promoting public opinion on these valuable matters.

We know Shastriji as one of the most seasoned socialists and sincere workers and leaders of our country, particularly of Madhyapradesh and himself being disabled unfortunately for some time he has never dodged his responsibilities and we are grateful to him for having brought forward this Bill.

Now you will see that he has rightly said—I will quote only two sentences from the statement of objects and reasons—"enough of lip sympathy has been showered", I think we must go now beyond that stage of lip sympathy and we must give something in the shape of concrete proposals so that the Government and the Parliament can tell the down-trodden people, the afflicted people that we mean business with them.

He has also said in his statements—I like that statement of his—I quote—"Employment has become everyone's birthright in swaraj." I am talking today on 22nd July and a few days later, on 1st August, we will remember Lokamanya Tilak. He said: "Swaraj is my birthright, I will have it." That Swaraj has come, and how shall we now elaborate the great Lokamanya Tilak's definition. Today, Shastriji has given us a good definition, that is, "Employment has become everyone's birthright in Swaraj". So far so good. I also understand his anxiety to convert Articles 41 and 45 into justiciable and fundamental rights.

But having said that, may I say a word or two by way of caution? It is right to say that certain things are good, laudable and noble, and we must go ahead in those directions. But the question is, how far the State can do it. It is no use, as Mandalji said just now "let us all become insolvent and poor, but go on distributing allowance!" What is the point in distributing allowances or doles and then becoming insolvent? We do not want to become insolvent for merely having the pleasure of giving allowances or doles to all. That kind of extremist point of view or too much of an enthusiastic point of view will not lead us anywhere as

responsible and sincere people trying to do something in this country. We all know—the Law Minister knows more than I do—that these directive principles have become pious aspirations. But they should not remain pious aspirations as though in the Bhagwad Gita or the Constitution for all times to come. They must be implemented—if not overnight, at least gradually, but definitely and surley. I think that is what Shastriji wants to say when he brings forward this Bill. That must be done. The welfare state was never achieved overnight nor was it achieved abruptly. In England we know how Fabian socialism came through years and decades; in fact, the entire chapter of Directive Principles of State Policy has been taken more or less by the inspiration of Fabian socialism. Do it gradually, but when you do it, do it well. In fact, Madam Chairman, you know that the motto of the Fabian society, which is running for many years and for many decades now, has been very interesting. With a symbol of tortoise, the motto of Fabian society says—I quote—"when I strike, I strike hard." That means, You go steadily but surely. Shastriji's complaint and my complaint is that we are not even going steadily, much less surely, We are not going anywhere. We remain stuck up; in 1978 we are practically where we were in 1950. Therefore, my point or demand is not to achieve everything what Shastriji wants to achieve in the matter of years or months but we must at least go in that direction as fast as we can. I do not want to take the time of the House by referring to Lord William Beveridge of England, by quoting what he said in 1944 when he gave a report on full employment. But the point to be remembered is that these are all matters to be done gradually, but surely in the right direction.

Now, I will come to the concluding part of Shastriji's Bill. What does he want? He wants three things, right to employment, attached with it, unemployment insurance or dole. Now I want to say with all respect to Shastriji and to all other colleagues who have said this, that it is not possible, it has never been possible for any country in the world so far to give unemployment insurance or dole while it is tackling unemployment. The point to be remembered is that unemployment insurance or dole has been given in the developed countries of the West and economically advanced countries of the world only after they have achieved full employment or near full employment conditions.

The idea of unemployment insurance or dole scheme should be there only after achieving full employment or nearly full

employment, and then only the State should look after such a minority—those who are left without employment. But while tackling the problem of unemployment in such a vast country of massive numbers, Shastriji himself mentioned in his Financial Memorandum that 9.70 million are unemployed. Probably that was the figure for 7th October 1977 when the Bill was printed. Within 8 or 9 months the number has gone up surely. It has become 10 million perhaps. So, the point is, when we are tackling the problem of unemployment, how can you also side by side go on giving unemployment insurance or dole? That was done by the Western countries and advanced countries only after achieving full employment. I think we should never forget this valid and fundamental point. And therefore, what we should tell the Government and ourselves is to carry on with the work of promoting employment as fast as we can, as meaningfully as we can and as effectively as we can and do it as early as possible so that when that level is achieved or fuller level is achieved or fuller employment is achieved, then whoever are in minority, i.e., those without employment, they may be given the necessary unemployment insurance or dole. I hope I have made myself clear on that point.

About education, his second demand, that children should get a right to education. I agree with him. In fact although it may not be possible to do it in this Bill, I am of the opinion that higher or university education must be made free to those who qualify for it. of, course, education must be free, compulsory and universal up to the age of 14. That is already laid down in the Constitution. But I want to emphasise the word 'free' by saying that it must be quality education, not just free education. Many times free education means useless education. Our children may not go to municipal schools, our children go to private schools. When I say 'our' I mean the elitist classes who come to Parliament, public life and all the rest of it. But a large number of people send their children, they have to send their children only to municipal schools and other schools like panchayat schools. Why? Because that is free, but it is not quality. That is why Lohiaji was right Dr. Ram Manohar Lohia said that when the President's son or daughter, Prime Minister's son or daughter, and the poorest man's son or daughter go to the same school and get the same quality of education, that will be the day when education will have become real and valuable. Otherwise, it is 'free' means cheap but useless and without quality. We do not want that kind of thing to happen. But as I was saying, I want to promote the idea of university education also becoming

free to our 'quality' boys and girls. I am now saying that university education must be only for those who are competent, who are qualified, I am only talking in the academic sense. But when they are academically qualified, if they are economically poor, the State must look after the education, the tuition, books and living expenses of those poor students, whether they are boys or girls, if they are talented and intellectually equipped for the job.

Finally, Madam Chairman, Shastriji wants, and I am quoting 23(c) where he says, that "State shall provide monetary assistance to every citizen who has completed the age of 60 years, or remain sick etc." I entirely agree with that. if I have a choice, I would say to Shastriji that I agree with him on 23(c) totally, 23(b) partially, 23(a) only in terms of hopes and ideals, not in terms of practical considerations, as that is not possible. But on 23(c) when I say I agree with him, Madam Chairman, the point is when you look at the Budget of our country, not only the Budget, but the expenditure of our country, and see how money is not only spent, but mispent, wasted on luxuries and on projects which have no meaning, on bogus kind of ideas, why should we spend crores of rupees on those status symbols? Instead, those crores must be diverted to living human beings of this country who are old, who are sick, who are disabled, but who have nonetheless a right to live honourably and in a dignified way in this country. Therefore, that money, although it may be a large amount, can still be saved not by creating more money, but by getting rid of the uselessly spent money and then utilising it by transferring it to helping the poor and the disabled.

With these words, Madam Chairman, I want to Conclude, but also refer to what one of our friends said about election promises. Let us not give wild election promises when we go to the next election—whenever that election be, I hope it is not too early, but whenever it is, we are all ready, whether it is early or late—because the point is that we should not be very liberal and too generous in giving election promises only for forgetting ourselves, but the people will not forget, even though we will forget, and that is the dishonesty and deception which we must not allow to be practised.

With these words, I want to say that I support Shastriji in his laudable objectives. His Financial Memorandum itself says that it is a very difficult proposition to put into practice—Rs. 600 crores minimum annually. But at least it is a good Bill because it does stand for strengthening

[Prof. P. G. Mavalankar]

public opinion and it arouses this Government's urgent attention and pleads for prompt implementation on the right lines. From that angle I warmly support and endorse the initiative that he has taken.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (बजुराहो): माननीय सभापति महोदय, शास्त्री जी ने श्री संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ। आप देखें कि देश को जो हालत है, गरीबी, असमानता, बेकारी, भूखमरी, इसको कैसे बदल सकते हैं इस पर हमें विचार करना ही है। केवल बातें करते रहें और कोई कदम न बढ़ायें तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बुद्ध निश्चय करना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत हम उस दिशा में चलें और उसे पूरा करें। शास्त्री जी ने अनुच्छेद 23 के पश्चात् 23 (ए), 23 (बी), 23 (सी) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है—काम का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बीमार, असमर्थ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जो 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं बीमार रहते हैं या स्थाई रूप के असमर्थ हैं उनको सहारा देने के लिए वित्तीय सहायता का इसमें प्रावधान है। जो बातें इसमें रखी गई हैं वह बही हैं जिनको हम कहते हैं। अगर हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है तो हम इसी आधार को ले कर मिटा सकते हैं। हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि मौलिक अधिकार में सम्पत्ति के अधिकार की समाप्त कर के रोटी रोजी का समावेश करना पड़ेगा। आगे यह भी कहा है कि जो प्राथिक रूप देखा है उसमें कहा गया है रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोटी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। यानी हमने इन बातों को माना है, तो हमें उसको पूरा करना तभी सार्थक होगा जब उसके लिए कोई कानून बनायेंगे। तो जो शास्त्री जी ने मार्ग दर्शन किया है हमें उसको मानना

चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए। किसकी बेकारी बढ़ी हुई देहात में, गहर की गलियों में। जो गरीब आदमी हैं उनके पास साधन नहीं हैं। श्री छाल लाखों की तादाद में स्कूलों से निकलते हैं रोजी की तलाश में उनका जीवन अनिश्चित है, भविष्य अंधकारमय है। अतः उनका जीवन उज्ज्वल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनको एक ऐसी गारण्टी दें, ऐसा अधिकार दें जिससे वह बेकार न फिर सकें और जैसे ही शिक्षा प्राप्त कर लें उनको काम दें। इसी तरह चाहे कम पड़े लिखे हो या अनपढ़ हों उनको भी हम काम दे सकें।

उद्योग मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उद्योग खोलेंगे। उससे लोगों को काम मिलेगा। इस तरह से जब हम बचनबद्ध होंगे तभी लोगों को काम दे सकते हैं। इस लिए काम का अधिकार बहुत जरूरी है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, धन बन तभी कायम रह सकता है जब शांति कायम कर सकें, और शांति तब होती है जब हमारे साधन ठीक हों। समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह तभी कर सकते हैं जब असमानता मिटे। 30 वर्ष से बराबर कह रहे हैं कि असमानता की मिटाना है, लोगों को काम देना है। अतः समय आ गया है कि जो बचनबद्ध हैं हमें उस और जाना चाहिए और जब तक उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें कानून बना कर के जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको काम का अधिकार देना जरूरी है।

छात्रों में बेहद असंतोष है जिसे हम साठी, गोली और जेल से दूर नहीं कर सकते। हम उन्हें काम दे कर ही संतुष्ट कर सकते हैं। सम्पत्ति का 'मोह बढ़-बढ़' आदिमियों को हो सकता है जिसके पास सम्पत्ति है। हम चाहते हैं कि जो साधनहीन हैं, उनके

वास भी सम्पत्ति दाये। सम्पत्ति उन्हें तभी मिल सकती है, जब उन्हें काम मिले।

हम देखते हैं कि प्रारक्षण की बात कितनी चलती है, कितना इस बारे में विवाद होता है। मैं कहता हूँ कि प्रारक्षण का मारुष्ठी मिल जाये तो यह क्षण्डा अपने-आप समाप्त हो जायेगा।

भाषा का विवाद है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग क्यों हिन्दी का विरोध करते हैं? वह इसलिए करते हैं कि अगर सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी चल जायेगी तो हम अंग्रेजी पढ़े-लिखों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा ही हिन्दी वाले लोग कहते हैं कि अंग्रेजी क्योंकि ज्यादा चल रही है, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलती है। प्रारक्षण और भाषा के विवाद अपने-आप समाप्त हो जायेंगे अगर हम उन लोगों को काम की मारुष्ठी दे सकें।

इसी तरह से हम अष्टाचार को भी मिटा सकते हैं। आप देखें समाज के आदमी क्यों इस अंशत में पड़ते हैं। रोजाना अष्टाचारों में चोरी, डकैती, अपहरण और लूटमार की खबरें निकलती रहती हैं, आखिर ये सब क्यों होते हैं? करोड़ों रुपया शासन का इस पर खर्च होता है। यह सब इसलिए है क्योंकि कुछ लोग बिना साधन के हैं और मजबूरन वह गलत काम करते हैं। अगर काम मिल जाये, कुछ मारुष्ठी मिल जाये तो वह गलत काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से देश में अष्टा शासन चल सकता है और लोकतंत्र ठीक से काम कर सकता है।

शिक्षा के मामले में भी आप देखेंगे कि गरीब के बेटे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। कई सड़के साधन न होने की वजह से पढ़ नहीं सकते।

इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हर एक को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी पड़े और कोई यह न कह सके कि हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ सके।

जो बूढ़, असमर्थ और बीमार होते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, उनका जीवन नारकीय और परेशानी का होता है। सरकार को इसकी मारुष्ठी लेनी चाहिए कि उनको वित्तीय सहायता दे चाहे वह अयोग्य हो या बूढ़ा हो। सर्वप्रथम साधनहीनों को सहायता दी जानी चाहिए। हम अष्टा समाज की कल्पना कर रहे हैं, समाज में समानता से रह सकें, किसी को दुःख न हो, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम ऐसे कानून बनायें जिससे सब सुविधाएँ लोगों को मिल सकें। शासन ऐसा समझता है कि हम कानून बना देंगे तो काम-याबी कैसे करेंगे? जैसे श्री मावलकर जी ने कहा कि हम बजट को देखते हैं तो यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है। जिस तरह से उस समय अनाप-जानाप खर्च होते थे उसी तरह से अब भी हो रहे हैं। हमें इस तरह के खर्चों को बन्द करना पड़ेगा, मजबूती से अपने बजट को बनाना होगा। साथ ही हमें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है, गरीबों को ऊपर उठाना है, बूढ़ों को सहायता देनी है। इस सब के लिए व्यवस्था कर के अगर हम लोगों को इसकी मारुष्ठी दें तो मैं कहता हूँ कि देश का तातावरण बदल जायेगा। अगर आपने इस संशोधन विधेयक को पास कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आप जनता सरकार की बड़े बहुत मजबूत कर लेंगे और प्रजातंत्र को बहुत मजबूत बना देंगे। इन शब्दों के साथ मैं शास्त्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूँ और सदन के

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

माननीय सचिवों व विधि मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस संशोधन विधेयक को पास करवाये और जो मैंने संशोधन रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये, उसे भी पास करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) :  
समापति महोदय, मैं भ्राप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भ्राप ने मुझे समय दिया।

आज हमारे देश के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के नीजवान अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद बेरोजगार रहते हैं। यह समस्या केवल शिक्षित लोगों के बीच में ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के बीच में भी है, जो या तो कम पढ़े हैं, या बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस समस्या की तरफ हमारे देश की सरकारों ने समय-समय पर जो ध्यान दिया है, और इसे सुलझाने के लिए जो कार्य किया है, वह हमेशा ही नाकाफ़ी रहा है। जब तक हम बहुत मजबूती और बड़े दूढ़ निश्चय के साथ कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान सम्भव नहीं होगा।

हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि हमारे संविधान में फण्डामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ब्राफ़ स्टेट पालिसी के बीच किस तरह समन्वय स्थापित किया जाये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ब्राफ़ स्टेट पालिसी में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो व्यक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखता हैं। अगर कभी कभी फण्डामेंटल राइट्स के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार या हमारी व्यवस्था जनता को सही ढंग से वे सुविधायें प्रदान नहीं कर पाती है, जिन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उल्लेख किया गया है। इस और से सम्पत्ति का अधिकार, राइट टु

प्रॉपर्टी, ब्यककर रास्ते में ट्रेडे के रूप में प्राया है।

हम उन दिनों को भी याद करना चाहते हैं, जब इस देश में बर्षों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राजाओं के प्रिबी वर्र को समाप्त किया गया था। हमें वह स्वीकार करना चाहिये कि जब वह कदम उठाया गया था, तो देश की जनता ने उसका स्वागत किया था। लेकिन फण्डामेंटल राइट्स की बजह से ये दोनों मामले कोर्ट में गये और वहाँ पर कुछ दिनों तक इस प्रकार से उलझ गये कि सरकार को पालियामेंट के माध्यम से कुछ कानून बनाने पड़े।

आज ऐसे बहुत से कार्य हैं, जिन को अगर सरकार करना चाहे, तो फण्डामेंटल राइट्स, और बिस्वोकर राइट टु प्रापर्टी, रास्ते में आयेगे। मैं विधि मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस कान्ट्राडिक्शन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक इस कान्ट्राडिक्शन को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक सरकार इस देश में बेरोजगारी और शरीबी को खत्म नहीं कर पायेगी, और जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिन सरकारी सुविधायों को आवश्यकता है, वह उन्हें प्रदान नहीं कर पायेगी।

आज देश में बेरोजगारी के कारण अराजकता फैल रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो बर्कतियाँ हो रही हैं, ट्रेन लूटी जा रही हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उन का बिस्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि पढ़े-लिखे बेरोजगार नीजवान इन अपराधों में भाग ले रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो देश में बढ़ती हुई अराजकता और हिंसा को समाप्त करना हमारे लिए मुश्किल होगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे इलैक्शन मैनिफेस्टों में वही बात कही गई थी, जो शास्त्री जी ने इस विधेयक के द्वारा यहाँ लाने की कोशिश की है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इलैक्शन जीतने के बाद हमारा ध्यान उधर नहीं गया है। हमारा ध्यान उधर जाना चाहिए, ताकि हम देश के बेरोजगारों को रोजगार दे सकें और देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें, जिस में प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, तो मैं बहुत साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कायम रखने में सफल नहीं हो सकेंगे।

जहाँ तक बेरोजगारी का भत्ता देने का प्रश्न है, कुछ राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है, जब कि अन्य राज्य सरकारें इसे स्वीकार नहीं कर सकतीं। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार और इसे स्वीकार न करने वाली राज्य सरकारों के सामने ऐसी कौन सी कठिनाई है, जो उन राज्य सरकारों के सामने नहीं है, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है। हम विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहेंगे कि वह बेरोजगारी का भत्ता देने के सवाल पर गंभीरता से विचार करे और इस दिशा में कोई पाबिटिव डेसीशन ले ताकि लोगों की कठिनाइयाँ दूर हो सकें।

17:00 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

हमेशा ही पूंजी, धाय और खर्च पर सीमा निर्धारित किए जाने की बात इस सदन में कही गई है। आज भी मैं इस बात की दोहराना चाहता हूँ कि अगर पूंजी, धाय और खर्च की सीमा निर्धारित की जाय तो वह बड़ी मात्रा में पूंजी सरकार के हाथ में

धा सकती है जिसका प्रयोग कर हम इस देश में कृषि का विकास कर सकते हैं, छोटे उद्योगों का विकास कर सकते हैं, बड़े उद्योगों का विकास कर सकते हैं और देश के नौजवानों की, शिक्षित लोगों को उस में रोजगार दे कर देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।

छठा पंच वर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में काफी योजनाएँ बनाई गई थीं। मैं समझता हूँ कि यदि छठी पंच वर्षीय योजना को ठीक ढंग से लागू किया गया तो देश में बेरोजगारी को समाप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Bill was 2 hours and now it is practically over. How much time the House would like to give to this Bill?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इस में हमारे बोधोपायक को कार्यान्वित करने का सवाल है जिस में सारा सदन दिलचस्पी रखता है। मेरा प्रस्ताव है कि इस में छः घण्टे का समय बढ़ाया जाये।

MR. CHAIRMAN: I am in the hands of the House. But I think 45 minutes will be enough so that the other hon. Member may also get the chance to start his Bill.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : केवल 45 मिनट भीमन्? इस पर धमनी बहुत लोग बोलने वाले हैं।

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to extend the time on this Bill by 45 minutes?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री: गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का भी प्रस्ताव दिन धाएँ उस दिन भी यह बर्बाद चलनी चाहिए।

**सभापति महोदय :** सदन की राय यही है कि 45 मिनट का समय इस के लिए बढ़ाया जाय।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** श्रीमन्, बहुत लोग बोलने वाले हैं, 45 मिनट का समय बहुत कम है। अभी इस के ऊपर चर्चा दूसरे दिन भी चलनी चाहिए।

**सभापति महोदय :** दो घंटा चर्चा इस पर ही थुकी है।

**श्री हरिकेश बहुगुणा :** मैं बहुत थोड़े में ही अपनी बात कहना चाहता हूँ।

मैं कह रहा था कि छठी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप को जिस को कि हमारे इस माननीय सदन ने पास कर दिया है, उस को अगर सही ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो देश में बेरोजगारी को खत्म करने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन यह जान मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उस पंच वर्षीय योजना का ठीक ढंग से कार्यान्वयन तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि देश को सरकार प्रवृत्तियों मिटाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाती, नौकरशाही के ऊपर ठीक नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाता और बढ़ती हुई आबादी को रोकने का प्रयास नहीं होता। अगर हम इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते तो छठी पंच वर्षीय योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो सकेगी। और हमें जो आगा है उस की उल्लिखियों की बेरोजगारी को समाप्त करने के सम्बन्ध में वह पूरी नहीं हो सकेगी। नतीजा यह होगा कि देश में पुनः निराशा का आना-सरण फलेगा।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य करने में सुक्षम है, उसे

कार्य करने का अधिकार देने के लिए संविधान में जो संशोधन माननीय शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उस का मैं सहृदय से समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करें।

**SHRI K. A. RAJAN (Trichur) :** Mr. Chairman, Sir, first of all, I congratulate Shri Y.P. Shastri for having brought forward this Bill to focus our attention to a major problem, a curse on our nation, that is, of unemployment. He has already given the object of the Bill :

"The Bill seeks to give legal effect to what is contained in articles 41 and 45 and make these rights justiciable and Fundamental Rights."

I need not just elaborate on the magnitude of this unemployment problem in the country. This has been there for the last so many years. The live register of Employment Exchanges does not really reflect the unemployment position in the country.

Most of the Employment Exchanges are situated in certain district headquarters. Only those people who are adjacent to those districts, the lower middle-class and the upper middle-class unemployed people care to register themselves in those Employment Exchanges. The real magnitude of the unemployment problem is beyond the number of unemployed people registered in the live register of the Employment Exchanges. In the rural areas, most of the people do not care to go to register themselves in the Employment Exchanges. The unemployment position is very acute in the rural areas. There are also educated unemployed people, like doctors, engineers and others who are rotting in the streets for just a day's bread. It has become such a problem that it has created enough headache for our society.

Apart from unemployment, there is under-employment and partial employment. In villages, most of the agricultural workers and such type of workers have got only seasonal employment in a year. They have employment for about 3 months in a year and for the remaining 9 months, they are unemployed. That is also really a problem connected with unemployment problem for which some remedy has to be found.

What is the position of unemployment in the country? If you go through the statistics of the last 30 years, as every year passes, the unemployment problem:

gets accentuated. With so many promises, with so many policies, with so many plans and with so many economic measures, we could not even touch the fringe of the problem. Those who are in power have to think of some radical economic and political measures.

There are some States where there is no unemployment at all. If you take the socialist countries, like China, Russia, Yugoslavia and such other countries, they can very well be proud of saying that there is no unemployment at all. But even if you take some advanced capitalist countries, like America, the unemployment problem is a regular curse on them. So, the problem of unemployment can only be solved if you take some fundamental and radical economic and political measures. Unless you tackle that problem holdly, it will be only a pious wish to get it solved within 5 or 10 years. Even in the Janata Party manifesto, there is a mention of it. Apart from their manifesto, there have been declarations made by prominent leaders of the Cabinet and a target of 10 years has been fixed for the eradication of unemployment. My only wish is, God save us.

The problem of unemployment has all along been there for the last 30 years and it has been accentuated year by year. It has become a social problem. It creates so many other problems, unrest in the family, unrest in the society and all sorts of tendencies. The people resort to all sorts of methods and create a law and order problem. It has become a crucial social problem. This problem of unemployment has got such a magnitude that it has got a vital bearing on the overall economic and political situation in the country.

With all these things, the question is, how to tackle this problem of unemployment.

As I have mentioned, there is, apart from this unemployment, partial unemployment. Then there are certain industries which run in a particular season and the rest of the season the workers who are working there remain idle, unemployed. So, this unemployment, as it is, apart from the live register unemployment in the Employment Exchanges, if you take the number of unemployed and under-employed it will run into millions and all that.

I want to emphasise one point with the limited time at my disposal. Now almost all the organisations, trade unions as well as youth organisations, are clamouring for perhaps some remedy for this unemployment problem. Perhaps there might be

some difference of opinion on this question and some hon. Members have also expressed their differences on the question of giving doles, unemployment doles. This question has been there for the last 30 years and almost all the unemployed and under employed people are clamouring, agitating and thinking in terms of getting employment. They have found no remedy for this problem. At least, they are now demanding some unemployment doles. It can be done. I shall just cite one example. As far as the Kerala Government is concerned, it has inaugurated a scheme there by all those people who have remained unemployed for the last 3-4 years on the live registers of Employment Exchanges will get a dole of Rs. 400 in one year. Also there is a scheme similar to that or similar to some extent or with some variation in Bengal. But that scheme by itself does not give unemployment dole only but by giving dole to unemployed people, they are made to work in the national reconstruction jobs in the rural areas and in so many other lift irrigation projects, or some sort of projects or some other work and all those things.

As far as this scheme is concerned, in the present context, there is nothing immoral or unjustified for unemployed people to demand this kind of dole, unemployment dole. If the Government could provide for enough money for this scheme or provide for enough finance in the Budget, I think the situation can be eased. I only request the Government that they should follow that scheme here and then not only unemployed people should be given unemployment dole but they can be organised as an army of unemployed people who would be engaged in construction work connected with the national work and so on. This is how we can, for the time being, ease the situation and find out solution of this problem. I still hold the view that the ultimate solution of this problem lies elsewhere. Unless you alter the social and economic structure of the country, you cannot solve this problem. Unless you throw away the private monopoly and the other sections of the people who wield power and in whose hands the means of production are, you cannot solve it.

So, I request the Government to try to solve this problem as much as possible because the spirit of the Bill is very good and they should take into account the aspirations and sentiments of the people. With these words, I have done.

श्री राज बिनास बलबाल (हाजीपुर):  
सभापति महोदय, शास्त्री जी जिस विषय पर यह बिल लाए हैं, उस विषय के सम्बन्ध

[श्री राम क्लिप्त पासबाण्ड]

में आज से चार-पांच दिन केबल मेरे एक प्रश्न के जबाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के पास 'राइट टू जॉब' के बारे में कोई फौज विचाराधीन नहीं है और बेकारों को भत्ता देने के सम्बन्ध में भी सरकार ने कहा था कि वह इस पर विचार करने नहीं जा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार ने अपनी मान्यता जाहिर कर दी है।

हमारे एक साथी ने बताया कि एक तरह से जो हमारा स्तम्भ है, जो हमारी पार्टी का नाति है, जो हमारा मैनीफेस्टो है, जिस चुनाव घोषणा-पत्र को ले कर हम चुनाव में गये और जिस चुनाव को हम ने जीता, उसमें स्पष्ट रूप से हम ने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार पाने का अधिकार देंगे, आज उसी चुनाव घोषणा-पत्र की इस बात को हम डेढ़ साल के बाद ठूकरा रहे हैं।

सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तबत से भ्राने हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, उन के नजदीक जाने से नौजवान लोग हिलकिचाने होंगे और जो मंत्री लोग हैं उन के पास जाने के लिए उन को टाइम पहले लेना होगा, लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे पास वे नौजवान लोग बेघड़क पहुंच जाते हैं और हम से प्रश्न करते हैं कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं बड़े श्रद्ध से आप के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार की जानकारी में शायद यह हो या न हो, लेकिन मैं आप को बताता हूँ कि यदि इस देश में आज सब से ज्यादा निर्माण कोई वर्ग है, तो वह युवा वर्ग है। यही कारण है कि जब जब देश में कोई क्रान्ति आई है या जब भी किसी काम में आगे आने की बात आयी है तब तब यह नौजवान तबका ही आगे आया है।

सभापति महोदय, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम दस साल में बेकारी की समस्या को दूर करेंगे। मेरे श्रेय के बगल में जार्ज साहब का श्रेय है, जार्ज साहब ने वहाँ कहा कि गजलर बिहार में एक साल में दस लाख लो को रोजगार दिया जाएगा। वहाँ अब एक दस लो लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। जनता सरकार को घाये सोलह महीने बीत गये हैं, क्या मैं सरकार से पूछूँ कि उसने इस अवधि में 1/10 अनुपस्थान मेट को खत्म किया है? नहीं किया है। इससे तो ऐसा लगता है कि जब दस साल बीत जाएंगे तो उस समय फिर सरकार कह देगी कि हमें दस साल और दे दीजिए इसकी खत्म करने के लिए। इसका तो कोई अन्त नहीं है। मैं तो कहूँ कि यह तो एक आदर्श की दुनिया में प्रथम करना है। देश में बेकारों की फौज खड़ी होती जा रही है और हम जनता को भ्रम में डालते जा रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि ठहर जाओ, हम यह करने वाले हैं।

इस बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार पर इसके लिए कहीं न कहीं धन अवश्य लगना चाहिए। सरकार को एक टाइप बाऊण्ड कार्यक्रम, समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समस्या को हल करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो जैसा कि हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम बेकारों को रोजगार पाने का अधिकार देंगे, वह अधिकार हमें बेकारों को देना चाहिए। अगर बेरोजगारों को रोजगार पाने का अधिकार होगा तो सरकार पर यह एक बंधन हो जाएगा और उसे लोगों के रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जब सरकार से पूछा जाता है कि बेकारों की संख्या का यह कैसे पता लगायी है तो सरकार कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज नामों से पता लगाते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मैं कहता हूँ कि मोटा-मोटा हिसाब लगा कर चलना चाहिए। इस देश की 60 करोड़ जनसंख्या है। पांच-पांच व्यक्तियों के 12 करोड़ परिवार हैं। हर परिवार के पीछे एक आदमी निश्चित तौर पर बेकार है। इस तरह मोटे तौर पर इस देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मैं इसी सदन में पहले भी कह चुका हूँ कि इसको दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप बेकारों को काम दीजिए। अगर आप उन्हें बेकारी भत्ता दे सकते हैं तो उन्हें बेकारी भत्ता दीजिए। धार धार उन्हें बेकारी का भत्ता भी नहीं दे सकते हैं तो आपने नौकरी पाने की प्रायु सोमा लगायी हुई है उसे हटाइये। यह मैंने तीन बार इस सदन में कहा है। जब व्यक्ति 25वें साल में होता है तो वह साल उसके लिए बड़ा प्राण लेने वाला साल होता है। जिस दिन वह एज बार हो जाता है उस दिन वह बोर बन जाता है या डाकू बन जाता है। कोई एण्टी सोशल एलीमिन्ट की कटेगरी में आ जाता है। अगर यह भी वह नहीं कर पाता है तो उसके सामने फाका करने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए सरकार के लिए यही सब से धनियम रिमेडी है। जब तक सरकार किसी बंधन में नहीं बंधेगी, जब तक अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व नहीं लेगी कि वह सबों को रोजगार पाने का अधिकार दे तब तक सरकार की किसी भी एजेंसी पर जिम्मेदारी नाम की कोई बीज नहीं होगी।

मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ऐसे देशों—रूस, लीबिया, जापान, चेकोस्लोवाकिया, बंगलादेश—का नाम है जहाँ

राइट टू जाब है। इन देशों के अलावा 28 देश ऐसे हैं जहाँ लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

मैं कहता हूँ कि हमने अपने घोषणा पत्र में लोगों को रोजगार पाने का अधिकार देने का वायदा किया हुआ है, फिर भी आप यह अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपके जो ये तस्कर लोग थे, उनमें से एक ने कहा था कि कितने बड़े बड़े नथार है, महानथार है, इनमें जितनी भी सभ्यता है, उभ सभ्यता का 75 प्रतिशत भाग ब्लेक मनी में है। आप इस ब्लेक मनी को क्यों नहीं निकालते हैं? आप इसे निकालिये और उसकी कंस्ट्रिक्टिव वर्क में लगाइये। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। बात यह है कि सरकार का इरादा या सरकार की नीयत नहीं है। अगर सरकार का इरादा या नीयत पक्की हो जाए तो सारा काम बन जाएगा। हेयर देयर इज ए विल, वेअर इज ए बे। जहाँ चाहत है वहाँ राहत है। जब हमारी नीयत या इरादा न हो तो हमें सब काम पहाड़ नजर आएगा और हमारे पास बहुत से बहाने भी हो जाते हैं।

अन्वोधय की बात आप करते हैं। अन्वोधय की बात आप तभी कर सकते हैं जबकि सभी को नौकरी पाने का अधिकार आप प्रदान करें। इसमें लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक परिवार को एक इकाई मान कर लें। बारह करोड़ परिवार देश में होंगे। इस प्रकार से बारह करोड़ इकाइयाँ हुईं। हर परिवार में आप एक एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था करें। हम ने सब बेकारों को दस साल में काम देने का सभ्य निर्धारित किया है। सोलह महीने तो निकल गये हैं। बाकी

[श्री राम बिलास पासवान]

जो प्रत्यक्ष बन्धी है उस में आप देखें कि प्रत्येक परिवार में से एक को प्रत्यक्ष रोजगार मिले। अगर इस हिसाब से प्रत्यक्ष काम करेंगे तब बस साल के बाद प्रत्यक्ष कह सकेंगे कि हमने काम किया है और अपना बाधा पूरा किया है।

बेकार दो प्रकार के हैं। कोई सरकार का बेटा बेकार नहीं होता है, चाई ए एस का बेटा या किसी पंजीरिति का बेटा बेकार नहीं रहता है। बेकार रहता है गरीब का बेटा। वह मैट्रिक पास करता है, चाई ए एस करता है और पास करने के बाद रोजगार दफ्तरों के चक्कर काटता फिरता है, दफ्तरों में इन्टर-उबर दीड़ता फिरता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से उसकी प्रायः पच्चीस साल हो जाती है और वह नौकरी पाने का अधिकारी नहीं रह जाता है। वह बेकारी की श्रम में झुलस कर मर जाता है। बेकार रहता है उसका बेटा जिसके पास बीधा, दो बीधा और तीन बीधा जमीन है और जो साल में तीन महीने कमाता है और नी महीने खाली बैठा रहता है। वह नी महीने स्वयं भी बेकार रहता है। उनके लिए आप कुछ व्यवस्था करें।

जहां तक कम्पलसरी एडल्ट एजुकेशन का सम्बन्ध है और बच्चों को शिक्षा देने का सम्बन्ध है आप कानून ही न बनायें बल्कि यह भी देखें कि कानून के मुताबिक उस पर अमल भी हो रहा है या नहीं, उसका पालन भी हो रहा है या नहीं। आप बच्चोंको कम्पलसरी एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन आप यह भी देखें कि उस बच्चे के पेट में कम से कम नास्ता भी जाता है या नहीं, उसके पेट में धन्न है या नहीं। नाश्ते का भी आप प्रबन्ध करें। ये दोनों चीजें साइड बाई साइड चलनी चाहिए। यदि आप अनिर्वाय शिक्षा

का प्रावधान करते हैं और दूसरी तरफ उस के पड़ लिखने के बाद उसको रोजगार की बरगुदी देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह सब से बड़ा और सब से ज्यादा सराहनीय कदम होगा। यदि जनता पार्टी इसको कर देती है तो मैं समझता हूँ कि इसी इशू पर जनता पार्टी की सरकार बस तो क्या पचास बरस तक राज कर सकती है। आप यह न समझें कि जनता आपको देख नहीं रही है। आपने बस साल की लाइन खींची है। लेकिन जनता सोलह महीने में ही ऊब सी गई है। आप देखें कि बेकार नौजवानों की कतारें अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और इनबलाब जिन्दाबाद के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, हम लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। इस वास्ते आप अभी से सावधान हो जाएं।

यह जो बिल प्राया है इसको आप पास करें। राइट टू जाब वाली बात को आप बिना किसी हिचक के मान लें। यदि आपने ऐसा किया तो सत्तारूढ़ी लोग और विरोधी पक्ष के लोग दोनों आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे। सभी इसको पास करना चाहते हैं। आप भी इसमें योगदान करें और इसको पास करें। जनता पार्टी को तब नौजवान दुष्मा देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और समाप्त करता हूँ।

\*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat) I Mr. Chairman, Sir, I have no hesitation in commending the legislative efforts of my hon. friend Shri Y.P. Shastri in a matter of such basic concern for the people of the country. I am sure that the Government would also view this Private Member's Bill in that spirit and accept it in toto.

In 1952 we gave to ourselves the Constitution—the Constitution of the people, by the people and for the people. Constitutionalism is the touchstone of the Constitution. During the past three decades of our free existence the nation

has grown but the desired unity in thought and action has not yet come about. A private Member's Bill, however important it may be, is not allowed to become an act. The Government of India should have on their own brought such a legislation. I plead with the Government that they should have no reservation in accepting the basic issues raised in this Bill by Shri Y. P. Shastri.

On August 15, 1947, Pandit Jawahar Lal Nehru proclaimed that India has woken up when the world is in deep slumber. The guiding principles for the free Government of India were eradication of poverty and elimination of illiteracy from the country. No doubt the country has made strides. Yet the twin problem of unemployment and illiteracy continue to haunt the nation. About a crore of people are registered as unemployed on the Live Registers of Employment Exchanges in the country. If you take into account those who are not able to get themselves registered with the Employment Exchanges and also those who are under-employed throughout the country, the figure will assume alarming proportions of several crores.

I will illustrate the magnitude of the unemployment by quoting my own experience. You are aware that the M.P.s. have been authorised to sign the Pass-Port Applications. I need not say that Kerala occupies a pre-eminent position in the country in having cent percent literacy. As the Sun rises in the morning, I find every day thousands of youngsters thronging my house in Palghat for getting their Pass-Port applications signed. They are all job-seekers outside the country. Throughout Kerala the number of young unemployed seeking jobs outside the country may run into several lakhs. I am personally aware of the agony of such educated youngsters who do not find employment within the country.

The Kerala Government has launched a scheme of financial assistance to the unemployed youngsters. Those who are on the registers of Employment Exchanges from 1975, without getting employment, are given financial assistance. Their services are also utilised in the national reconstruction programmes till they get regular jobs. Within the meagre resources available to the State, the Kerala Government have come to the succour of the suffering youngsters who are unemployed.

Shri Shastri has given the figure of Rs. 400 crores for implementing such a scheme of financial assistance throughout the country. The amount is within the reach of the Central Government. As has been suggested, this assistance can be treated as loans and after the youngsters

get jobs this can be recovered in easy instalments. The Janata Government, which profess to reflect the aspirations and ambitions of the people of the country and which swear not infrequently to establish a record of achievement in the matter of meeting the primary needs of the people, must not hesitate to accept the suggestions of my hon. friend Shri Shastri who belongs to the Janata Party.

A small State like Kerala has made education free upto the collegiate level. The very fact that Shri Shastri has brought forward this Bill suggesting that education should be free to the children upto the age of 14, shows that in many parts of the country education is still not free upto the age of 14. Education is the basic primary requisite of democracy. The edifice of parliamentary education cannot be built on the quicksand of illiteracy. Similarly the superstructure of democracy cannot be based on the quicksand of unemployment. I would like to emphasise that we want to leave a free country for posterity then we must with in a stipulated period eradicate illiteracy and eliminate unemployment from the country. Both should get constitutional support; they must form part of the constitutional efforts of the Government.

PROF. P. G. MAVALANKAR : The hon. Member from Kerala is speaking so very well in Tamil. If only he can speak a little less loud, we can hear the translation better; at the moment we hear only his voice.

SHRI A. SUNNA SAHIB : We have adult literacy programmes for the past thirty years. Yet we find that 70 percent of our population continues to be illiterate. This clearly shows lack of concerted efforts to eradicate illiteracy from the country. The hon. Minister, Shri Shanti Bhushan, is a lawyer and I am also a lawyer. We have been for years and years about providing free legal aid to the poor. Even the two words 'legal' and 'aid' have not yet come nearer. We have not been able to implement this throughout the country. It is not very difficult to take shelter under some sort of excuses. I have quoted this as an example. The twin problem of unemployment and illiteracy is as elusive as an eel. I would like to point out that our ancient Indian culture must not only be kept unsullied but it must be magnified, dignified, glorified, enhanced and sublimated. If this is to be done, employment opportunities must be created in all sectors of economy. I would only appeal to the Janata Government that if desires are created among the people then the

[Shri A. Sunna Sahib]

Government must endeavour effectively to fulfil those desires.

I would appeal to the hon. Minister that he must unhesitatingly make Right to work as a Fundamental Right, it becomes all the more important if the Government is going to fulfil its commitment of removing the Right to Property as a fundamental right, in this background I would suggest provision of financial assistance to the unemployed and the disabled over 60 years and also make education free and compulsory to the children upto 14 years.

With these words I conclude my speech and thank you for giving me this opportunity to say a few words.

श्री बिनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शास्त्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यह बिल लाकर समूचे सदन का और देश का ध्यान इस ओर खींचा है।

इस बिल में तीन बातें कही गई हैं। एक तो काम दो, नहीं तो दाम दो, दूसरे अनिवार्य शिक्षा और इस देश से निरक्षरता का उन्मूलन और तीसरे इन्होंने कहा है कि जो 60 बरस से ऊपर के लोग हैं और जिन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है, उन सब को पेंशन मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, यह तीनों बातें बहुत आवश्यक हैं जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। इस देश को बिलगत 30, 31 साल की हकूमत ने एक तरह से पहली बना कर रख छोड़ा था। इस देश में अगर मोटे-मोटे हिसाब लगाये जायें 12-13 करोड़ लोग बेकार हैं। दूसरी तरफ 30 साल की आबादी के बाद भी हम में से 30 प्रतिशत लोग ही ए बी सी डी या क, ख, ग, घ पाये हैं, 70 प्रतिशत आदमी निरक्षर हैं, भंगूठा छाप हैं।

यद्यपि इस देश में एक घायली पर 6, 7 कट्टा जमीन पड़ती है फिर भी इस देश में जितनी खेती वाली जमीन है, उस में से लगभग एक-बौंदाई जमीन घसी भी बेकार परती पड़ी हुई है। हमको चाहिये कि जो बेकार, भ्रमपड़ नौजवान हैं उनको इकट्ठा करके इस काम में लगाया जाये ताकि परती जमीन पर खेती भी की जा सकती है और उनको काम भी मिल सकता है। इतनी परती जमीन तथा व्यापक निरक्षरता के बावजूद भी आज हमारे यहां सब से ज्यादा बेकारी है। 60, 65 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जो हमारा मैं निफैस्टो है, उसमें हमने प्रतिज्ञा की थी कि हमारी हुकूमत होगी तो हम यहां के सभी बेरोजगार लोगों को काम का अधिकार देंगे नहीं तो बेकारी का भसा देंगे। एक बात समझ में नहीं आती है हमारे न्याय मंत्री तो सरकारी काम में नये हो सकते हैं लेकिन जो हमारे प्रधान मंत्री हैं वह तो बिलगत 30 सालों से हुकूमत की गद्दी पर थे। जब चुनाव फीनिफैस्टो बन रहा था तो वे भी उसको बनाने वालों में थे। आज माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आयेगा या हम बेकारी का भसा देकर लोगों को भिखारी नहीं बना देंगे। जब वह फीनिफैस्टो तैयार कर रहे थे उस समय शिक्षा था काम देंगे या बेकारी भला देंगे। क्या बनाव बौधणा पत्र बनाते समय माननीय प्रधान मंत्री ने यह नहीं सोचा था ?

आज देश में 16, 17 महीने हमारी हुकूमत की हो गये हैं। इस साला बेकारी मिटाने की योजना के अनुसार कम से कम डेढ़ करोड़ बेकारों को काम मिल जाना चाहिये था। देश का नौजवान जिसने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर, कालेज की पढ़ाई छोड़कर जनता पार्टी की हुकूमत को लाने का काम किया था, उसने आज हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम उन लोगों के लिये क्या

कर रहे हैं ? क्या सरकार सबन को बता सकती है कि बेरोजगारी मिटाने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

हम दिल्ली में एक साल से रहते हैं। हमको यह बेशक बरसज्जा होती है कि सिर्फ सहरसा जिले में केमसे कम दो ठाईं लीं नौजवान जिनको हम जानते हैं, जिन में से कोई इंटर-मीडिएट है, कोई मैट्रिक है, कोई बी० ए० पास है—, दिल्ली में पांच रुपये रोज पर हम लोगों के बंगलों के धानी की बूब की काटते हैं, बागबानी करते हैं। यह हालत है हमारे देश में शरीबी और बेकारी की !

श्रीमती बड़कटकी यहां बैठी हुई हैं। कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री को बैठ कर एक प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम बेकारी को दूर करेंगे और लोगों को काम देंगे। धरम से लोगों बंट कर इस काम को करने की प्रतिज्ञा और सपन से लेंगे, तो इस देश के करोड़ों निरक्षर और पड़े लिखे बेरोजगार लोगों की काम पर लगावा जा सकता है। जब बी० ए० पास नौजवान सहरसा जिले से यहां आकर हमारे बंगलों की बूब काट सकता है तो क्यों शिक्षा मंत्री उने पचास, सौ रुपये देकर साक्षरता अभियान में नहीं जना सकते हैं ? लगा सकते हैं। इसके लिये दृढ़ इच्छा, लगन और योजना चाहिये।

यह भी आवश्यक है कि मंत्री महोदय एक बंटा सुबह या शाम किसी मुहल्ले या भंगियों के टॉले में जाकर, जहां निरक्षर लोग रहते हैं, एक स्कूल में निरक्षरता को मिटाने का काम करें। जब मुस्तफा कमाल पागा ने टकी में निरक्षरता को मिटाने का अभियान चलाया, तो वह और उनकी बीबी भी जाकर स्कूल में पढ़ाते थे। इसी तरह क्या हमारे कानून मंत्री भी एक बंटा नहीं निकाल सकते

हैं ? वह दिल्ली के निरक्षर लोगों के मुहल्ले में एक स्कूल चलायें। एक स्कूल श्रीमती बड़कटकी भी चलायें, हम सब चलायें। इस तरह नौजवान लोगों को प्रेरित कर काम पर लगाया जा सकता है और इस देश की बेकारी को मिटाया जा सकता है। परती जमीन को खेती लायक बनाने के लिये शान के धनपड़ बेरोजगार नौजवानों की श्रमि सेना संगठित की जा सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I must congratulate Shastriji. I was also associated for some time with the socialist struggle.

There are persons in the Janata Party with progressive ideas.

The programmes and policies of any political party are based on the political will of the people of the country. We have passed through thirty years after independence but still the Constitution is an obstacle to the progressive thoughts and progressive ideas for giving jobs to the jobless people in this country. It is not worth taking up the Constitution very seriously. Not that I would like to say that that it should be mutilated. We must make the Constitution a living organ which should reflect the real spirit of the people of this country.

A simple measure which he has proposed is to see that this right should be enforceable. It is only adumbrated as a Directive Principle—to create a welfare society. Unless it has any sanction of the law, it cannot be implemented, because whichever Government comes, it may preach rather than practice. Therefore, I would quote—to-day it is a very explosive situation so far as jobs in this country are concerned, so far as employment position in this country is concerned.

I do not want to categorise the nature of employment. But every citizen has got every right to live peacefully. At least he must have work to do. But nature is plenty and man can exploit the nature. It is not that man power is wanted. The man power should be utilised and it should be employed in various programmes. But unfortunately in whatever the Government does, the will of the people is not being exercised fully.

[Shri K, Lakkappa]

Today, Mr. Shastri's ideas are not being fully taken up at their party level,—to force the Government to enforce these rights, which should be included in the Constitution.

My hon. friend Mr. Shanti Bhushan may not agree and his party may not agree. Mr. Morarji Desai may not agree, and the Janata Government may also collapse. This is the situation. Here I would like to quote one thing. (Interruptions) I am not blaming you only, I am blaming my own party. I am blaming every political party which functions in this country, because, they do not understand the realities of the situation. I know what the Janata Government is doing. It is my request that these unemployed people should be given all help and facilities, to get employment. But what is being done. The hon. Prime Minister Shri Morarji Bhai says: 'Oh, yes, we will eradicate unemployment by making programmes'—but, he is not going to accept such legislations which will lead to laziness in the country. I do not understand this. There is no rhyme or reason in the argument advanced by Shri Morarji Bhai.

It is high time that I quote a passage here which is revealing.

"In the final analysis, the country's prestige is not what the world thinks of us, but how our people think of us.

Where then is the prestige of India, if the people have no true pride in their country.

Where is the prestige of the country, if the rulers find prestige in false glamour, in the words of the White Man or the World Bank.

The country's prestige will have to be built from the furthest corner of India, where Gandhiji's *Last Man* struggles homeless, starving, naked, shivering in the cold, dying in the heat, thinking, this is his lot, because it is his Karma."

Why should you oppose any progressive policies which are brought in. I do not think the hon. Minister will agree. I welcome the suggestion made the other day in the Janata Party by Mr. Shastri. Any right thinking person should agree to it. It has been stated that they want to eradicate destitution within 10 years. But 2 years have already elapsed. Nothing has been done. What they do is, they proceed with enquiries and appoint commissions of inquiries and all that. That is all. They are playing with the sufferings of the people. They have not

understood the realities of the situation, this explosive situation of unemployment. (Interruptions). Therefore I request them about this. (Interruption) Even I may come to that side one day, because, I know, the entire Government is collapsing now. There is no hope. This Government is incapable of making any necessary Constitutional change in this respect.

I welcome this Bill which Mr. Shastri has brought. Mr. Shastri is a respected colleague of ours who has fought for the freedom of our country. It is known to everybody that what we face today is a very serious, explosive situation. I do hope that he will take up this matter in his party, and persuade the Government to bring in an appropriate piece of legislation to amend the constitution in this respect. But I know, they may not do it. They will try to put it off on some pretext or the other.

MR. CHAIRMAN : Let us hear them.

SHRI K LAKKAPPA : I shall be the first person to welcome this. If the Government is very serious and progressive in nature, I hope the Minister will concede such a right to be adumbrated in our Constitution and make it enforceable throughout the country, I shall be the first person to support this Bill.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hosangabad) : Many members want to speak. I have a motion for circulation. I have not spoken at all.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tejpur) : Kindly extend the time by two hours. We all want to speak on this.

MR. CHAIRMAN : I am completely in the hands of the House. Earlier it was thought that it might be extended by one hour.

If the House desires to extend this by some more time, how can I have objection to it. I think you should be a little practical because the Private Members' time is already very short and it will be there again on the next Friday. I think you should be satisfied with one hour, I believe.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : What is your ruling in the matter of quorum. I have raised that there is no quorum—we are twenty short of the minimum required.

PROF. P. G. MAVALANKAR : We all agree that we want more time. we may go beyond one hour. Let us extend it by one hour and if the House wants, the Law Minister at this stage, may intervene rather than reply.

**SHRI HARI VISHNU KAMATH :**  
The Member-in-charge will reply.

**PROF. P.G. MAVALANKAR :** Then he will be followed by other speakers. This is what happened last time.

**MR. CHAIRMAN :** I think we cannot force him. If he wants, he can intervene at this stage. Otherwise, he has a right to reply.

**PROF. P.G. MAVALANKAR :** He can intervene at this stage and we can have a discussion.

**THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) :** Since hon. Members are very keen to speak I would also be very keen to hear them on such an important measure. Unemployment in this country is the most important problem which is being faced by this country. Obviously, I would like to have the benefits of the advice of the hon. Members.

**MR. CHAIRMAN :** So, is it the pleasure of the House to extend the time for consideration of this Bill by one hour?

**SEVERAL HON. MEMBERS :** By two hours.

**MR. CHAIRMAN :** What is the suggestion of the Minister of Parliamentary Affairs?

जब तब संसदीय कार्य मंत्रालय में राख मंत्री (श्री लार्सन साह) : जब माननीय सदस्यगण दो घंटे का समय बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है—समय बढ़ाया जा सकता है।

**MR. CHAIRMAN :** All right. Is it the pleasure of the House to extend consideration of the Bill by two hours?

**SEVERAL HON. MEMBERS :** Yes.

**MR. CHAIRMAN :** So, the time is extended by two hours. Now I can call the other speakers.

Shri Kalyan Jain.

श्री कल्याण जैन (इन्दौर) : सभापति महोदय, चुनाव की घोषणा होने के बाद

जनता पार्टी ने मुझे जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ जनता पार्टी के समर्थन में इन्दौर शहर में श्री भटल बिहारी बाजपेयी की एक विशाल जनसभा हुई जिसमें सवा लाख लोग मौजूद थे। पांच लाख की आबादी वाले शहर में मीटिंग में सवा लाख लोग आए उस मीटिंग में बाजपेयी जी ने घोषणा की कि हम जब सत्ता में आ जायेंगे तो व्यक्तिगत सम्पत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर देंगे और उसके एवज में रोजी रोटी का जो मौलिक अधिकार है वह लोगों को दिया जाएगा। मुझे दुःख है कि 15 महीने बीत जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यक्रम जनता पार्टी की सरकार की ओर से नहीं आया। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर सरकार कहती है, अगर प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई कहते हैं कि यह समस्या हल नहीं हो सकती है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उनको सुझाव देता हूँ और बताता हूँ कि किस प्रकार से इस समस्या को हल किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी समस्या का हल नहीं किया जाता है तो मैं मांग करूँगा, इस सदन में जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, कि श्री मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज देश में करोड़ों लोग बेकार हैं। एक ओर यह बेकार लोग हैं और दूसरी ओर लाखों लोग एियाशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जाएगा और शास्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक यह सरकार कोई काम नहीं कर सकेगी। जैसे ही यह विधेयक पास हो जाएगा, सरकार को चारों ओर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज ओर खर्च का सम्बन्ध क्या हो, कृषि की नीति क्या हो, भूमि सुधार किस प्रकार से लागू किए जायें, सरकार की औद्योगिक नीति क्या हो—इन तमाम चीजों पर सोचने

[श्री कल्याण जैन]

के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा।

सभापति जी, इन्दौर की सभा में श्री घटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि हिन्दुस्तान के भ्रष्टर प्राय का अनुपात 1:20 रहेगा। जब एक प्राय की काम से कम प्राय 20 पैसे और 40 पैसे है। तो ज्यादा से ज्यादा प्राय कितनी होनी चाहिये? यदि प्राय 20 गुना भी लें तो बार रुपये दोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इतना नहीं तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को दो हज़ार रुपये महीने से ज्यादा बर्ब करने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। किसी भी व्यक्ति को दो हज़ार रुपये महीने से ज्यादा तनखाह नहीं दी जानी चाहिये। आज हिन्दुस्तान में पांच लाख लोग ऐसे हैं, जिन पर प्रतिमाह 5 से 10 हज़ार रुपये महीने तक बर्ब होता है—यह हमारे देश को शोभा नहीं देता है। इस लिये जरूरी है कि जनता पार्टी इस पर रोक लगाये। अगर जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इस का मतलब है कि जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया और जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते मुझे दुःख होता है कि 15 महीनों के भ्रष्टर हम ने बोली दी है, लेकिन रोटी के मामले में जनता पार्टी ने कोई भी क्रान्तिकारी कदम या क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू नहीं किया है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूँ—यह एक राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्र निर्माण करने के लिये जनता पार्टी की सरकार को एक संकल्प लेना चाहिये और इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिये। इस विधेयक के स्वीकार हो जाने से इस देश में ऐंज का जीवन व्यतीत नहीं हो सकेगा। जिन की इन्कम ज्यादा है, उन की सम्पत्ति का प्रकाशन किया जा सकता है, जिन के पास 5 लाख या उस से ज्यादा की सम्पत्ति है उस का सार्वजनिक प्रकाशन हो सकता है, जिन के पास

उस से भी ज्यादा सम्पत्ति है, यदि उस को छुट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस में जो इस्लीमल है, उस को तो छुट कर सकते हैं। इस तरह से घरों को खरपा, इन्कम कर सकते हैं। हमारे कानून में भी जो मुझे मासूम नहीं इस बात को समझते हैं यह नहीं समझते हैं, यदि न समझते हैं तो मैं उन को सबझाने की कोशिश कर सकता हूँ। जिन के पास पांच लाख से ज्यादा की सम्पत्ति है उन का सार्वजनिक प्रकाशन हो और उस प्रकाशन के बाद जिन के पास उस अनुपात से ज्यादा पाई जाय उस की जांच की जाय और जांच के बाद ज्यादा सम्पत्ति को छुट कर लिया जाय इसी तरह से जो 10 हज़ार रुपये साल से ज्यादा इन्कम टैक्स देते हैं उन की सम्पत्ति का भी प्रकाशन होना चाहिये और साथ साथ जांच होनी चाहिये। आज हिन्दुस्तान के भ्रष्टर दस करोड़ लोग बेकार हैं, जिन के लिये बेकारी भत्ते की बात की जा रही है। मैं मानता हूँ कि प्राय 100 रु० या 200 रु० महीना उन को नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस सिद्धान्त को स्वीकार तो कर सकते हैं कि हम रोजगार के मौलिक अधिकार को मानते हैं। यदि एक दम उन को नहीं दिया जा सकता है तो बेरोजगारी भत्ते के माथ से 100 रुपया या 200 रुपया साल में उन को दे सकते हैं। यदि प्राय ऐसा करते हैं तो इस पर 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक प्राय को बर्ब करना पड़ेगा। लेकिन इस का एक बहुत बड़ा परिणाम यह निकलेगा कि जिस दिन से प्राय इस सिद्धान्त की मान लेंगे उसी दिन से सरकार के सोचने की विचार धारा में एक दम परिवर्तन आ जायगा, प्राय सोचने पर मजबूर ही आयेगे कि हम किस तरह से ऐसे उद्योग खूबे लगायें जिस में अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके और जो रुपया प्राय को बर्ब की सीमा निश्चित करने के बाद मिलेगा, उस से बेरोजगारों को काम मिलेगा।

मुझे दुःख हुआ जब हमारे प्रधान मंत्री श्री इंदरजी देसाई ने बेरोजगारों के लिये की मांग

को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं बंदोबस्ताओं को डोज नहीं खाऊँगा, बंदोबस्ताओं को भिन्न-भिन्न के समान भीख नहीं बाँटूँगा। इस से ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। सभापति जी, जिस जनता पार्टी ने बाइटा किया था कि हम काम देंगे और यदि काम न दे सके, तो बेकारी भत्ता देंगे, उस के प्रधान मंत्री इस तरह से बोलते हैं—यह ठीक बात नहीं है। इस लिये मैं इस सदन के माध्यम से अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं इस का विकल्प देने को तैयार हूँ—यदि सरकार इस सिद्धान्त को मानने को तैयार हो जाय, तब तो इस विधेयक की जो भावना है वह पूरी हो सकती है, लेकिन यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम संसद सदस्यों को श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व से इस्तीफा देने की मांग करनी चाहिये और अटल बिहारी वाजपेयी या जार्ज फरनान्डीज या शान्ति भूषण जी या किसी दूसरे को प्रधान मंत्री बनाना चाहिये। बिना नेतृत्व में परिवर्तन किये काम नहीं चलेगा। श्री मोरारजी देसाई का हम ने तीस साल में काम देखा है, वे कन्वर्सेटिव हैं, यदि हम इस देश में आर्थिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो अब तक हम ने इस देश के अन्दर बोली दी है, रोटी नहीं दे सकेंगे। जिस मुल्क में रोटी नहीं मिलती है, तो रोटी के अभाव में वह गोली भी छीन ली जाती है, वहाँ ताना-शाही प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस लिये प्रायज-ता पार्टी का दूसरा विकल्प नहीं है हमें इस पार्टी के अन्दर ही इस को ठुँकना चाहिये। यदि यह नेतृत्व इस काम को नहीं कर सकता है, तो इस नेतृत्व को खत्म कर के दूसरे नेतृत्व को आगे लाना चाहिये। ताकि हम यह महसूस करे कि वास्तव में हिन्दुस्तान की जनता पार्टी के सामान्य ने हिन्दुस्तान की जनता को रोटी और बोली दोनों दी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने जो विधेयक रखा है, उस का

तहेदिल से समर्थन करता हूँ और इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि प्रायज जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं वे खत्म हों और प्राथमिक शिक्षा सब के लिए एक-समान हो और मोहल्ला स्कूल हों, जैसा मावलंकर जी ने भी कहा और हमारे लोहिया जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि राष्ट्रपति जी का जो बच्चा हो और हरिजन का जो बच्चा हो, वे एक ही स्कूल के अन्दर शिक्षा लेने जाएं। मुझे दुःख है कि हमारे डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पब्लिक स्कूल समाप्त नहीं कर सकते। हमारी मंत्राणी महोदया श्रीमती बड़कटकी जी, यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं उन से कहूँगा कि प्रायज इन स्कूलों में शिक्षा देने की इजाजत मत दें और अगर शिक्षा देने की इजाजत देती भी हैं तो कम से कम प्रायज तो कर ही सकती हैं कि उन को मान्यता न दें इन को परीक्षा लेने की इजाजत न दें। जिस दिन प्रायज यह कर देंगी मंत्रीजी जी कि जो स्कूल हमारे नियमों के विपरीत हैं उनको हम मान्यता नहीं देंगे, उन को परीक्षा कंबट करने की इजाजत नहीं देंगे उस दिन यह समस्या हल हो जाएगी। प्रायज प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करें। प्रायज मंत्राणी जी समझ नहीं रही हैं मैं फिर समझा हूँ मंत्री महोदय इस बात को नहीं समझ सकते हैं और संविधान का बहाना लगा कर इन पब्लिक स्कूलों को खत्म नहीं करते हैं—कि इन स्कूलों को परीक्षा लेने की इजाजत मत दीजिए। जो स्कूल 25 रुपये और 50 रुपये महीना फीस लेते हैं, उन को प्रायज परीक्षा लेने की सुविधा न दीजिए और उन को मान्यता खत्म कर दीजिए, यही मेरा उन से कहना है। प्राथमिक शिक्षा को प्रायज अनिवार्य करें, पब्लिक स्कूलों को खत्म करें और बिना रोजगार व ले लोंगों को कुछ सुविधा दें। यहाँ मेरे निवेदन हैं।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः शास्त्री जी के विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

**SHRI HARI VISHNU KAMATH** (Hoshangabad) : Mr. Chairman, this Bill is of such an important nature, as is evidenced from the fact, that so many of my colleagues on the right, left and centre have spoken so that there is very little left for me to say, and I do not wish to repeat any of the points which my colleagues have made so effectively and forcefully. But still I would like to focus the attention of the House on certain aspects of this problem. The alarming feature of our body politic in recent years has been the mounting unemployment in our country. I do not want to tire the House with facts and figures in detail, but it is sufficient for me to quote that during the one year, period, from January 1977 to January 1978, there was an increase of about 12 per cent in the figures given by the Employment Exchanges, that is, the people without jobs, workless people in search of jobs. Those figures have been registered in the Employment Exchanges only. Outside, there may be many more millions, we do not know. In one year, there was an increase of 12 per cent. The figure of January 1978 was about 11 millions. It is well over one crore, and behind every jobless person, every job seeker, we can

visualise at least four or five persons. It means that there are at least about 50 million people. It means that there are about fifty million people who are hungry, without food, without jobs, without clothes, may be without shelter. There is a Shloka in Sanskrit :

दुष्कृतः किं न करोति पावबन्  
 क्षीणा नरा निष्करुणामवन्ति ।

It means : what sin or crime will not a hungry man commit? Hungry people, impoverished people, poor people, jobless people become ruthless.

**MR. CHAIRMAN** : You can continue next time.

28.08 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 24, 1978/Sravana 2, 1900 (Saka)*